दैनिक
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्
# नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, गुरूवार 3 दिसंबर 2020, कृष्ण पक्ष-तृतीया, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-289 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

## आज बेबाक

अमेरिका की तरह कनाडा के हुक्मरानों को भी दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ाने की बीमारी है। भारत के नए कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत कर रही है। यह भारत का आंतरिक मामला है लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने इसमें दखलअंदाजी का दुःसाहस करते हुए भारत को नसीहत दे डाली है। भारत अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। इसके लिए उसे किसी टूडो फ्रूडो की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। वो खामखां मान न मान मैं तेरा मेहमान बनने की कोशिश न करें।

# पहले संगठन फिर निगम-मंडल की सूची पर लगेगी मुहर

■ दिल्ली जाने से पूर्व सीएम भूपेश का बयान

■ कृषि कानून, किसान आंदोलन पर टिप्पणी

**नवप्रदेश संवादाता**

**रायपुर।** पूरे तीन दिनों तक दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ में व्यस्तता भरे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मसरूफ रहेंगे। मंगलवार को दुर्ग में लोकार्पण कार्यक्रम के बाद देर शाम दिल्ली रवानगी से पूर्व सीएम श्री बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि पहले प्रदेश में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नियुक्तियां होंगी। इसके लिए अंतिम बैठक में आम सहमति होने का भी खुलासा किया। निगम-मंडल के बकाया पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों पर सीएम का कहना है नामों पर सहमति बनने के बाद भी अंतिम मुहर दिल्ली से ही लगेगी। रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवानगी के दौरान सीएम ने कहा कि वे रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे और फिर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सत्ता और संगठन में नियुक्तियों की जानकारी देंगे। सीएम ने केंद्र के कृषि कानून और किसान आंदोलन समेत कोरोना जांच के संबंध में भी खुलकर कहा। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक पर कहा सहमति और चर्चा करना जरुरी है। इसलिए विस्तार से संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बहुत जल्द ही निगम मंडल के लिए ■ शेष पृष्ठ 7 पर

### कृषि कानून पर कहा-केंद्र को झुकना ही होगा

केंद्र के कृषि कानून पर किसानों की नाराजगी को जायज ठहराते हुए सीएम श्री बघेल ने कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। इस कानून की मांग या जरुरत न तो किसी सियासी दलों और ना ही किसान संगठनों ने दर्शाई थी। ऐसे में बिना किसी आवश्यकता के पीछे के दरवाजे से यह कानून केंद्र में पास करवाया गया है। यही वजह है कि कृषि कानून को थोपे जाने से किसान नाराज हैं। इसलिए आमजनों और किसानों ने सड़क में उतरने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों के बाद यह अब पूरे देश में प्रभाव डालने लगा है। केंद्र सरकार को आखिरकार किसानों के आगे झुकना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितों का विशेष ख्याल रख रही है। फिर वह चाहे समर्थन मूल्य हो या फिर न्याया योजना के तहत सरकार ने साबित किया है।

### कोरोना पर बोले- कोशिश यही कि आंकड़े कम और जांच हो ज्यादा

*कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन की कोशिश है कि जांच ज्यादा से ज्यादा हो। आंकड़े कम हो और जांच ज्यादा हो इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। सीएम ने कहा जांच जितनी ज्यादा होगी, मौत के आंकड़े उतने कम होंगे। अपील की है कि जरा सा भी लक्षण दिखे तो लोग कोरोना जांच करवाएं। जांच ही एकमात्र उपाय है क्योंकि जांच के अभाव और चूक के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ता है। सीएम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गाइड लाइन का पालन करे और इसके खत्म होते तक सावधानी बरते तो वे भी सुरक्षित रहेंगे और समाज भी स्वस्थ्य रहेगा।*

### सुदूरवर्ती क्षेत्रों के होनहार छात्रों के लिए दाऊ ने दिया बड़े दिल का परिचय

# नेटवर्क ने अटकाया छात्रों का एडमिशन, अब सरकार दिलाएगी दाखिला, खर्च भी उठाएगी

■ सुदूर अंचल के छात्रों का निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकार कराएगी प्रवेश

■ नीट क्वालिफाई ऐसे बच्चों को मिली राहत जो नेटवर्क प्राब्लम के चलते नहीं करा सके काउंसिलिंग

**नवप्रदेश संवाददाता**

**रायपुर।** नीट क्वालिफाई कर चुक प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों के विद्यार्थियों का भविष्य अब प्रदेश सरकार संवारेगी। सरकार ऐसे विद्यार्थियों का एडमिशन निजी मेडकल कॉलेजों में कराएगी, वो भी अपने खर्च पर।

इस दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और संवेदनशील पहल की है। प्रदेश के सुदूर अंचल जहां नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से नीट क्वालिफाई होनहार छात्र-छात्राएं जो काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर अपना पंजीयन नही करा सके थे उन्हें अब प्रदेश के निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए है। इन होनहार बच्चों का भविष्य अब सरकार संवारेगी।

### अलग राज्य बनाने पर पहली बार ऐसा

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार है कि एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी अंचलों के ऐसे सभी होनहार बच्चों के एमबीबीएस में दाखिला के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

#### राज्य में नहीं कराया जा सका पंजीयन

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में जैसे ही यह बात आयी कि दंतेवाड़ा जिले के 27 होनहार छात्र-छात्राएं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है परन्तु नेटवर्क प्राब्लम के चलते प्रथम काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, उन्होंने तुरंत पहल की। जिला प्रशासन ■ शेष पृष्ठ 7 पर

#### दो छात्राओं के एडमिशन की प्रकिया जारी

प्रथम काउंसलिंग के पश्चात इसमें दो छात्रा कुमारी पदमा मडे और पीयूषा बेक एमबीबीएस में प्रवेश की पात्रता रखती हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा इन छात्राओं का प्रदेश के निजी कॉलेजों में दाखिला की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगे भी यदि ■ शेष पृष्ठ 7 पर

## सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से मांगी कोरोना की काट

**रायपुर/ नवप्रदेश।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर टीका आबंटित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अविरल सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया है।

**पत्र लिखकर किया राज्य को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड-19 का टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध**

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी से देश के भीतर लोगों में तनाव और भय की एक अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की शांति और उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस ■ शेष पृष्ठ 7 पर

#### कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना

*मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए प्राथमिकता से पहले चरण में ही छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरह से तैयार है। इस टीकाकरण हेतु राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के फ्रंट लाईन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है।*

सरकार से किसानों की सीधी बात

## कृषि कानूनों को रद्द करने बुलाएं संसद का विशेष सत्र

**नई दिल्ली/ए.।** केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा के किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि सरकार नए कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। किसान नेताओं का कहना है कि अगर कृषि कानूनों से जुड़ी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर वे और कदम उठाएंगे।

#### ...तो दिल्ली की और सड़कों को करेंगे ब्लॉक

प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की और सड़कों को ब्लॉक करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा, 'अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम और कदम उठाएंगे।''

#### चिंताओं को दूर करने को तैयार: तोमर

*वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को एक बार फिर से कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के हितों में बताते हुए कहा कि इन्हें लंबे इंतजार के बाद लागू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'मैं किसानों से अपील करता हूं कि कानून उनके हित में हैं और सभी सुधारों को लंबे वक्त के बाद लागू किया गया है। लेकिन, यदि उन्हें कुछ भी समस्या है, तो फिर सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है।'*

वहीं, किसान नेता दर्शन पाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, 'केंद्र को नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत करना चाहिए।'

## खास- खबर

### सड़क हादसे में सात की मौत, चार घायल

**रंगा रेड्डी/(वार्ता)।** तेलगांना में बुधवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये। यह हादसा तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिला में चेवेल्ला मंडल के मल्कापुर गेट में हैदराबाद-बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ।

### ड्रग्स केस: शौविक चक्रवर्ती को जमानत

**नई दिल्ली/ए.।** ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है। 7 नवंबर को शौविक ने मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत में यह अर्जी दाखिल की थी। इससे लगभग एक महीने पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शौविक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

### आईआईटी छात्र को मिला 1.5 करोड़ का पैकेज

**नई दिल्ली/ए.।** कोरोना काल और आर्थिक मंदी के बावजूद प्रमुख आईआईटी संस्थानों में शानदार कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है। घरेलू और विदेशी कंपनियां छात्रों को मोटे पैकेज पर जॉब ऑफर कर रही हैं। अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी कोहेसिटी ने एक आईआईटी छात्र को सर्वाधिक 20 हजार यूएस डॉलर (करीब 1.5 करोड़ रुपये) का जॉब ऑफर किया है।

### कोरोना को मात देने वालों की दर 94 % हुई

**नई दिल्ली(वार्ता)।** देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि से इसकी दर 94 प्रतिशत से अधिक हो गयी है वहीं सक्रिय मामलों की दर भी गिरकर साढ़े चार प्रतिशत पर आ गयी। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तीसरे दिन 40 हजार से नीचे रहे। इससे पहले सोमवार को 38,772 और मंगलवार को 31,118 मामले आये थे। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,604 मामले आये जिसे मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 94,99,413 हो गया है।

## मेडिकल कॉलेज के अस्पातल में ऑक्सीजन का रिसाव

**नवप्रदेश संवाददाता**

**राजनांदगांव।** राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के सहायग अस्पताल में ऑक्सीजन गैस रिसाव हो गया, जिसके कारण विस्फोट हुआ और आग लग गई। मंगलवार रात की यह घटना अस्पताल के इंटेनसिव कोरोनरी केयर यूनिट की है। प्राप्त जानकारी के अुनसार धमके की आवाज सुनकर अस्पताल की चौकी में तैनात जवान मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पाया। इस दौरान एग पहले से गंभीर मरीज की मौत हो गई।

**■ एक मरीज की मौत, पहले से गंभीर बीमारी से था पीड़ित**

जबकि आईसीसीयू वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। ऑक्सीजन पाइप से गैस रिसाव शुरू हो गया था। इसके चलते वार्ड सहित पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। घटना रात करीब 1:30 बजे की है। ऑक्सीजन पाइप से रिस रही गैस ने थोड़ी ही देर में पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाका हुआ और पाइप ने आग पकड़ ली। सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी में ड्यूटी पर तैनात जवान मौके पर पहुंच गया। हालांकि जवान की सतर्कता से ■ शेष पृष्ठ 7 पर

## भाजपा सांसद की कोरोना से मौत, सनी देओल की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव

**मुंबई/ए.।** भाजपा सांसद सनी देओल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सनी देओल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। सनी देओल व उनके मित्र मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सनी देओल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। सनी देओल के कंधे का कुछ दिन पहले ही मुंबई में ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वे अपनी पसंदीदा जगह कुल्लु के फॉर्म हाउस में रहने को गए थे। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर सनी देओल द्वारा इलाज करने की खबर है। वहीं दूसरी ओर गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद अभ्य भारद्वाज का कोरोना से निधन हो गया है। भाजपा सांसद का मंगलवार को चेन्नई में ■ शेष पृष्ठ 7 पर

## ब्रिटेन में अगले हफ्ते से मिलेगी कोरोना वैक्सीन

**नई दिल्ली/(वार्ता)।** कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। अगले हफ्ते से ये मिलनी शुरू हो जाएगी। दवा कंपनी फाइजर और बायो एन टेक की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गयी है और अगले सप्ताह से यह वैक्सीन पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध हो जायेगी।

विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने मेडिसिन एंड हेल्थ्केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की सिफारिश को मंजूर करते हुए फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की बुधवार को मंजूरी दी है।

#### इनको लगेगी पहले वैक्सीन:

यह वैक्सीन अगले सप्ताह से उपलब्ध हो जायेगी। हालांकि, यह तय करना कि पहले किस आबादी समूह का टीकाकरण किया जायेगा, यह जिम्मेदारी ब्रिटेन की वैक्सीन समिति की है।

#### 94 फीसदी सफल रही ट्रायल में

फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अल्बर्ट बर्ला ने बुधवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में यह एक ऐतिहासिक क्षण है। फाइजर ने मंगलवार को ■ शेष पृष्ठ 7 पर

### *फाइजर व बायो वन टेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी*

#### ओडिशा में अब 400 कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट

*भुवनेश्वर/ए.। कोरोना संक्रमण के बीच ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद ओडिशा में आरटी-पीसीआर जांच कराना अब सस्ता हो जाएगा। ओडिशा में अब यह जांच महज 400 रुपये में होगी। इससे पहले कई दूसरे राज्य भी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के रेट घटा चुके हैं। मंगलवार को गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस से संक्रमण की आरटी-पीसीआर विधि से जांच 1100 रुपये की बजाय 800 रुपये कर दी थी।*

**फैसला** — उत्तर प्रदेश के हाथरस की पीड़िता की फोटो छापने पर रोक लगाने से शीर्ष अदालत का इनकार

# हम कानून पर कानून नहीं बना सकते : सुप्रीम कार्ट

**नई दिल्ली/ए.।** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया में हाथरस सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले की पीड़िता की फोटो छापने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर कानून नहीं बना सकते है और याचिकाकर्ता को केंद्र के समक्ष एक प्रतिनिधित्व दायर करने को कहा है। बता दें कि 19 सितंबर को हाथरस में चार आरोपियों ने 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।

इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित तौर पर उसके माता-पिता की सहमति के बिना रात में उसका दाह संस्कार कर दिया था, जिसके बाद देश में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश फैल गया था याचिका में यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई में देरी का मुद्दा भी उठाया गया था। इस याचिका पर सुनवाई के लिए मामला न्यायाधीया एन वी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। पीठ ने कहा कि इन मुद्दों का कानून से कोई लेना-देना नहीं है।

इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल है। पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके लिए पर्याप्त कानून है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं होती हैं।

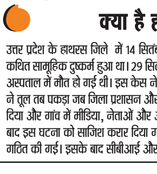

#### क्या है हाथरस केस

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। 29 सितंबर को पीड़िता की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई थी। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब जिला प्रशासन और पुलिस ने जबरन पीड़िता का शव जला दिया और गांव में मीडिया, नेताओं और अन्य लोगों की एंट्री बैन कर दी। इसके बाद इस घटना को साजिश करार दिया गया। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। इसके बाद सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई।

#### सीआरपीएफ पीड़ित परिवार व मामले के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम इसके लिए कानून पर कानून नहीं बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 27 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाथरस मामले की सीबीआई जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में की जाए और सीआरपीएफ पीड़ित परिवार व मामले के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करेगी। कोर्ट ने अक्टूबर में इस घटना पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाया था।

## मास्क नहीं पहन बाहर घूमने वालों की कोरोना केंद्र में लगे ड्यूटी : हाईकोर्ट

**अहमदाबाद/ (वार्ता)।** गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बिना मास्क पहने बाहर घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी सम्बंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों को कोरोना रोगियों की देखभाल के लिए बने कोविड केंद्रो में सामुदायिक सेवा के लिए लगाया जाए। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसे केंद्रो पर पांच से पंद्रह दिनों तक रोज चार से छह घंटे तक सफाई, खाना बनाने, डाटा और अन्य रिकॉर्ड आदि में मदद जैसे गैर मेडिकल सेवा के कार्य में लगाना चाहिए।

#### *गुजरात में कोरोना के 2 लाख 10 हजार से ज्यादा मामले*

*राज्य में अब तक कोरोना के 2 लाख 10 हजार से अधिक मामले आए है जिनमे से करीब 15 हजार सक्रिय हैं। अब तक 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार से अपने निर्देश के अनुपालन के मामले में एक रिपोर्ट 24 दिसंबर तक जमा करने के आदेश भी दिए हैं।*

■ न्यूज गैलरी

## डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में तेजी

**भिलाई।** निगम क्षेत्र अंतर्गत चल रहे सफाई कार्यो का अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने कचरा जमा नहीं होने के निर्देश दिए हुए हैं। सड़कों व नालियों की सफाई तथा बाजार क्षेत्रों में दिन तथा रात्रिकालीन सफाई करने निगम का अमला जुटा हुआ है। निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जोन कमिश्नर अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने तथा गीला एवं सूखे कचरों को अलग.अलग रखते हुए कचरों को अनियंत्रित तरीके से फेंकने पर समझाइश दी।

## पहले दिन 783.20 क्विंटल धान खरीदी

**कुम्हारी।** राज्य शासन के निर्देश पर 1 दिसम्बर से धान खरीदी का शुभारंभ किया। इसके तहत सेवा सहकारी समिति कुम्हारी में 783.20 क्वि. धान की खरीदी की गई। इसके निरीक्षण व रख रखाव हेतु जिला कॉंग्रेस कमेटी के आदेशानुसार धान खरीदी केन्द्र मे सुबह 10 बजे उपस्थित होकर अवलोकन किया। इस दौरान पालिकाध्यक्ष राजेश्वर सोनकर स्वयं उपस्थित रहे एवं पूजापाठ कर धान तौलकर धान खरीदी प्रारंभ किया।

# लोक कला मार्ग का सीएम बघेल ने किया शुभारंभ

नवप्रदेश संवाददाता

**दुर्ग।** निगम सीमा अंतर्गत निगम द्वारा एसपी बंगला सिविल लाइन मार्ग में छत्तीसगढ़ी लोक कलाओं की मूर्तियों से सजी लोक कला मार्ग का नामकरण, लोक कला मूर्तिया के आर्ट से सजी रंगीन लाइटों के बीच यहां छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति राउत नाच, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, सूर्य प्रणाम एव खेती किसानों से सम्बंधित कलात्मक प्रतिमाएं से सजी लोक कला मार्ग का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गृहमंत्री एव लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र

चौबे, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन एव एमआईसी सदस्यगण, पार्षद गण व पदाधिकारीगण एव निगम अधिकारी कर्मचारीगण एव आमजनता की मौजूदगी में शुभारंभ कर आम जनता को लोक कला मार्ग की सुंदरता की सौगात दिए। छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग की कल्पना विधायक वोरा का है उनकी सोच व मंशा के अनुरूप इस क्षेत्र को तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद शहर के प्रमुख चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किए जाने की योजना बनाई गई है। सौंदर्यीकरण की दिशा में शहरवासियों को छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति से जोड़ने विधायक निधि के 50 लाख से राउत नाचा, सुवा नृत्य, योद्धा नर्तन, कुम्हार, हल चलाते किसान और सूर्य नमस्कार योग की झलकियां इस सौंदर्यीकरण में नजर आएगी। धूल मुक्त सड़क के लिए दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में सुबह और शाम के वक्त हजारों की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं जहां लोगों को अब धूल मुक्त सड़क और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की झलकियां लग जाने से यहां आने वाले लोग काफी सुकून महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उन्होंने भारत रत्न श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। इसके बाद फीता काटकर किया भवन का लोकार्पण।

मुख्यमंत्री बघेल ने आज जिला मुख्यालय में बीएसएनएल भवन परिसर में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण अवसर पर कार्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय को इन वर्ग के लोगों के विकास के लिए कारगर कदम बताया। कार्यालय का शुभारंभ होने पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण और विकास के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। अनुसचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यालय का शुभारंभ होने से इन विकास योजनाओं को गतिमान पूर्वक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ समुदाय के विकास के लिए नए द्वार भी खुलेंगे।

# भिलाई की शान में आज एक और सितारा जड़ा

नवप्रदेश संवाददाता

**भिलाई।** नगर की शान में आज एक और सितारा जड़ा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के विजन इस भिलाई शहर की दुनिया भर में शान, मान और अभिमान है। पं. नेहरू द्वारा आरंभ किए गए आईआईटी की यह श्रृँखला भिलाई तक पहुंची है। देश का तेईसवां आईआईटी है। यह हमारा गौरव है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईआईटी भिलाई के शैक्षणिक क्षेत्र कारिडोर के भूमिपूजन एवं विभिन्न भवनों की अधिरचना स्थापन कार्यक्रम के

अवसर पर कही। कार्यक्रम स्थल में सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर पर ईट रखी। यह ब्रिक लेयिंग सेरेमनी का हिस्सा होता है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने शिला पट्ट का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने थ्री डी माडल का अनावरण भी किया। इस अवसर पर आईआईटी के फर्स्ट फेज के डिजाइन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आईआईटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, जो यहां लौह आधारित उद्योगों के लिए काफी उपयोगी होगा। लोग छत्तीसगढ़ में धान आधारित एथेनाल उद्योग पर काम करने वाले हैं। आईआईटी में यदि इसकी कास्ट कटिंग पर कोई रिसर्च होता है तो इस उद्योग के लिए यह काफी उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि छग जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए आईआईटी इस तरह के रिसर्च माडल विकसित करे।

# आयुक्त के निर्देश पर ऑटो पर कार्यवाही

नवप्रदेश संवाददाता

**रिसाली।** कोविड.19 गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने पहुंचे अधिकारियों से फैंसी स्टोर्स के संचालक ने हुज्जत की। अधिकारियों के चेतावनी के बाद भी दबंगई दिखाने पर घटना की शिकायत नोडल अधिकारी रमाकांत साहू से की। बाद में कार्यवाही करने सूचना नेवई थाना को दी गई। निगम की टीम ऑटो सवार यात्रियों से भी जुर्माना वसूल किया। अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे द्वारा गठित टीम के प्रभारी अनिल मेश्राम सहयोगियों के साथ बुधवार स्टेशन मरोदा पहुंचे। जहां महालक्ष्मी श्रृंगार सदन के संचालक को बिना मास्क सामान बेचते देख समझाईश देने पहुंचे। चर्चा के दौरान ही दुकान संचालक ने नियमों को नहीं मानने की बात कहते दबंगई दिखाई। जुर्माना राशि देने से इंकार कर दिया। इसकी शिकायत और धारा 188 के तहत कार्यवाही करने निगम के अधिकारियों ने नेवई पुलिस को पत्र लिखा है।

कोरोना संक्रमण को रोकने गठित टीम नेवई में अभियान चलाते यात्री वाहनों की जांच की। इस दौरान ऑटो सवार यात्री बिना मास्क सफर कर रहे थे। टीम में शामिल निगम के पंकज भगत व अविनाश खुटेल ने कुल 800 जुर्माना वसूल किया। साथ ही मास्क का वितरण करते हुए बिना मास्क के घर से निकलने पर दोबारा जुर्माना वसूल किए जाने की चेतावनी दी।

निगम के अधिकारी स्टेशन मरोदा में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अधिकांश दुकान संचालक बिना मास्क पहने व्यापार कर रहे थे। अधिकारी कर्मचारियों ने व्यापारियों से कुल 11 सौ जुर्माना वसूल कर मास्क का वितरण किया।

# लोककला मार्ग के मुद्दे को लेकर भाजयुमो ने किया जोरदार प्रदर्शन

नवप्रदेश संवाददाता

**दुर्ग।** पूर्व महापौर सुश्री सरोज पाण्डेय के कार्यकाल में रविशंकर स्टेडियम के पीछे निर्मित फ्लावर स्ट्रीट व विवेकानंद मार्ग का संधारण कर नाम परिवर्तन कर लोककला मार्ग किए जाने व पूर्वनिर्मित कार्य के लगे लोकार्पण पत्थर को निगम प्रशासन द्वारा उखाड़े जाने के मुद्दे को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल के आगमन के पूर्व जिला भाजयुमो के नेताओ व पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधीश की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया तत्पश्चात जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से हड़बड़ा, निगम प्रशासन ने आनन फानन में रानी दुर्गावती प्रतिमा के फिर पत्थर लगाया गया। इस घटना के विरोध में भाजपा पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। विदित हो कि उक्त फ्लावर स्ट्रीट का आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व महापौर सरोज पाण्डेय के कार्यकाल में निर्माण किया गया था जिसका लोकार्पण तत्कालीन प्रभारी मंत्री राजेश मूणत द्वारा किया गया था जिसका शिलापत्थर एसपी बंगला के सामने लगा था उसे अब उखाड़ दिया गया है इसे लेकर आज भाजपा पार्षद दल एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया इस दौरान प्रमुख रुप से भाजयुमो जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित भाजपा पार्षद व बड़ी संख्या में युवा मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञापन सौंपने के दौरान चंद्रशेखर चंद्राकर, नरेंद्र बंजारे, काशीराम कोसरे, ओमप्रकाश सेन, मनीष साहू, गुलाब वर्मा, हेमा शर्मा, अजीत वैध सहित अन्य मौजूद थे।

### कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग

**//आम सूचना//**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरिओम गुप्ता आ. स्व. मुरारी लाल गुप्ता निवासी जी-03 जनता क्वाटर पद्मनाभपुर जिला दुर्ग (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग द्वारा पद्मनाभपुर दुर्ग में स्थित भवन क्रमांक जी-03 जिला दुर्ग में आंबटित है। आबंटी श्री हरिओम गुप्ता की मृत्यु दिनांक 31.10.2016 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत उनके वारिस/ वारिसानों श्री राजकुमार गुप्ता आ. स्व. हरिओम गुप्ता ने आबंटित भवन को अपने नाम पर नामांतरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। उक्त भवन क्रं. जी-03 पद्मनाभपुर दुर्ग जिला दुर्ग को श्री राजकुमार गुप्ता के नाम इस शर्त पर नामांतरण करना न्याय संगत होगा, यदि भविष्य में स्व. हरिओम गुप्ता के वारिसानों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा किया जाता है तो उसके लिए मंडल कोई जवाबदार नही होगा।

अतः श्री राजकुमार गुप्ता के नाम पर हस्तांतरण पर यदि किसी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय, अर्द्धशासकीय बैंक, वृत्तिय निकायों आदि को कोई आपत्ति उजर हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति/दावा इस कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते है। म्याद/ अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त आपत्ति/ दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एंव नामान्तरण की कार्यवाही करने में मण्डल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 02.12.2020 को जारी किया गया हैं।

मुहर

सम्पदा अधिकारी के आदेशानुसार
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र- दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार, दुर्ग, (छत्तीसगढ़)

**// ईश्तहार //**

रा.प्र.क्र. /अ-20(1) 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग (छ.ग.) के प्र. क्रमांक 202011100400180/अ-20(1) दिनांक 7/11/2020 के माध्यम से आवेदक 1. शक्तिलाल यादव पिता दयाराम यादव 2. सनत यादव पिता दयाराम यादव निवासी-पुरानी बस्ती पोटियाकला दुर्ग को ग्राम पुरानी बस्ती पोटियाकला, प.ह.नं. 23 स्थित भूमि खसरा नं. 226 रकबा 0.785 हे. में से रिक्त भूखण्ड रकबा 750 वर्गफीट को आवंटन/ व्यवस्थापन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है। अतः जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उजर / दावा पेश करना हो तो पेशी दिनांक 31/12/24 तक स्वयं अथवा स्वयं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति-आक्षेप पेश कर सकते है, बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से यह उद्घोषणा पत्र प्रकाशन हेतु जारी किया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700179

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय यादव पिता सहदेव यादव निवासी ग्राम अस्तपाल कालोनी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 35/8 रकबा 838 वर्गफीट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700180

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजीव कुमार पिता कृष्णा देव सिंह निवासी ग्राम रावल बिगडा तहसील व जिला औरंगाबाद के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/18 रकबा 1028 वर्गफीट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल अन्य 03 पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अमित कुमार अग्रवाल पिता ललित कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1346/34 रकबा 0.008 हे. भूमि को दानदाता श्रीमती शकुन्तला पति ललित कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 04.11.2020 को दान में प्राप्त किया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नेहा जैन ध.प. स्नेह जैन साकिन जैन गली दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती निकिता गुप्ता आ./ पति विवेक गुप्ता साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.050 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती निति जैन आ./ पति संजय जैन साकिन देवास द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती निति जैन आ./पति संजय जैन साकिन देवास द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/13 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक किशोर गुप्ता आ. स्व. मूलचंद गुप्ता साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल व अन्य से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा-पत्र**

मा.क्र.//अ-06 अ/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कबीर यादव पिता स्व. बिहारीलाल यादव साकिन पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक क्रयशुदा भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न 23 अ तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि कुल खसरा नं. 349/1, 437/8, 460/1 रकबा 0.0040, 0.0530, 0.279 हे. भूमि पर अभिलिखित नाबालिग शब्द को विलोपित कर बालिग दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 05.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा-पत्र**

मा.क्र./अ-24/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 20201210070001

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक एवेन्यु सुपरमार्टस लिमि. द्वारा श्री हरवंत सिंह माहाल आ. श्री हरभजन सिंह माहाल पंजीकृत कार्यालय आंजनेय हीरानंददानी फाउंडेशन स्कूल के सामने पवई मुंबई जिला मुंबई द्वारा अपने खाते में अपने अधिकार जो ग्राम पोटियाकला प.ह.नं. 23 अ रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 62/33, 63/3, 80/290 रकबा क्षेत्रफल जो त्यजन किया जा रहा है 0.0220, 0.0980, 0.0790 हे. को शासन के हित में त्याग करने का आवेदन मय दस्तावेज के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 22.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700126

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नितेश सिंह सोरी पिता नरेश कुमार सोरी निवासी ग्राम नयापारा तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/67 रकबा 868 वर्गफीट भूमि को विक्रेता महेन्द्रनाथ सिंह निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 26.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक शुभम जैन आ देवेन्द्र जैन साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न.26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती नेहा जैन ध.प. स्नेह जैन साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12,572/13 रकबा 0.104 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक शुभम जैन आ देवेन्द्र जैन साकिन ब्राम्हण पारा दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक विवेक गुप्ता आ अशोक साकिन आपापुरा दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती बीना जैन ध.प. देवेन्द्र जैन साकिन जैन गली दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र कुमार जैन आ कस्तूर चंद जी जैन साकिन जैन गली दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुनीता गुप्ता ध.प. अशोक गुप्ता साकिन आपापुरा दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग)

**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती बीना जैन ध.प. देवेन्द्र जैन साकिन जैन गली दुर्ग द्वारा ग्राम महमरा प.ह.न. 26 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.न 572/12 रकबा 0.118 हें. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता तुलेश्वरी साहू आ भारतलाल वगेरह से क्रय किया गया है कि नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 8/12/2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया ।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

## न्यूज गैलरी

### पैरोल पर गए बंदियों की अवधि 2 सप्ताह और बढ़ाई गई

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 30 सितम्बर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में पैरोल/अस्थाई मुक्ति में छोड़े गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि 30 नवम्बर 2020 तक बढ़ाई गई थी। बंदियों के परिजनों द्वारा लगाए गए पिटिशन पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आज एक दिसम्बर 2020 को सुनवाई की गई और अंतिम अवसर देते हुए पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि एक दिसम्बर 2020 से 2 सप्ताह तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में कुल 1348 बंदी पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर जेल से बाहर हैं, जिसमें 465 बंदियों का पैरोल जिला मजिस्ट्रेट एवं 883 बंदियों का पैरोल महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किया गया है।

### जुआ खेलते 23 गिरफ्तार,नगदी 64 हजार रुपए से ज्यादा बरामद

**रायपुर।** जुआ खेलते 23 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगदी 64 हजार 4 सौ रुपयें एवं ताश की 52 पत्ती जब्त की है। आरंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 01 दिसंबर को जुआ खेलने की सूचना ग्राम समोदा व निसदा में जुआ खेलने की सूचना पर छापामारकर रेड की कार्रवाही के दौरान 23 जुआरियों को पकड़ा है। ग्राम समोदा आरंग में जुआ खेलते दानीराम 36 वर्ष पिता बिसउवा यादव एवं अन्य 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह ग्राम निसदा आरंग में रेखराज निषाद 44 वर्ष पिता निर्भया निषाद व अन्य 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाही कर जमानतीय मुचलका पर रिहा कर दिया है।

### राजधानी में युवक को चाकू से गोदा, हत्या का अपराध दर्ज

**रायपुर।** राजधानी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से गोदकर प्राणघातक चोट पहुंचाने की रिपोर्ट पुरानी बस्ती थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिव चौक भीमनगर पुरानीबस्ती निवासी राजेश बांद्रे आयु 40 वर्ष पिता उदयाल वान्द्रे ने बीती रात रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 1 दिसंबर को रात 9.30 बजे पीड़ित का भाई आकाश वान्द्रे खाना खाकर टहलने सिद्धार्थ उईके आयु 20 वर्ष पिता विनश उईके के घर के सामने भीमनगर पुरानी बस्ती गया हुआ था। तभी 4 माह पूर्व विवाद को लेकर सिद्धार्थ उईके ने हत्या करने की नियत से चाकू निकालकर हमला कर पीठ,आंख ,पेट व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट पहुंचाया। आकाश वान्द्रे को गंभीर हालत में इलाज के लिये मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

### गृह मंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह को दिए आवश्यक निर्देश

**रायपुर।** गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। गृह मंत्री श्री साहू ने पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन अभियान के तहत खेलकुद का आयोजन करने, समय-समय पर काऊंसलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही विभिन्न कैम्पों का भ्रमण करने और उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से पुलिस जवानों की समस्याओं और उनके समाधान के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी एवं पुलिस महानिदेशक (नक्सल अभियान) श्री अशोक जुनेजा की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।

### कार में शराब तस्करी करते 3 गिरफ्तार, 2 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त

**रायपुर।** राजधानी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते चार पहिया वाहन में तीन लोगों को गिरफ्तार कर कार की डिक्की से 96 पौवा अंग्रेजी शराब जब्त किया है। आरंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को मुखबीर की सूचना पर घंड़ी चौक रायपुर की तरह से मोवा होकर होण्डा आईकान कार क्रमांक एमएच 31 एडब्लू 1111 में शराब तस्करी करने की सूचना पर पुलिस ने मोवा ओव्हरब्रिज के नीचे दलदल सिवनी में घेराबंदी कर सामने से आ रही कार को रोककर चेकिंग करने पर डिक्की के अंदर अवैध 2 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब कीमत 11520 रुपयें मिलने पर शराब जब्त कर कार चालक विजय प्रसाद मालवीय आयु 36 वर्ष पिता मथरा मालवीय निवासी इस्तवारी रेल्वे स्टेशन शांति नगर महाड़ा कालोनी महाराष्ट्र व शहजाद अली आयु 20 वर्ष शरीफ अली निवासी इस्तवारी रेल्वे स्टेशन महाराष्ट्र एवं अब्दुल शोहेल आयु 20 वर्ष पिता अब्दुल कलीम निवासी सरंजीपुरा ओल्ड भंडारा रोड बड़ी मजिस्द के पास नागपुर महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया।

### सट्टा लिखते एक गिरफ्तार,नगदी रुपयें एवं सट्टा पर्ची सहित चाकू जब्त

**रायपुर।** जुआ व सट्टा की कार्रवाही के दौरान कोतवाली पुलिस ने सट्टा पट्टी लिखते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा -पट्टी व नगदी सहित एक चाकू जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 1 दिसंबर को गांधीनगर हनुमान मंदिर कोतवाली में एक व्यक्ति द्वारा सट्टा-पट्टी लिखने की सूचना पर बताये गए हुलिये के अनुसार मौके पर पहुंचकर सट्टा पट्टी लिखते मोहम्मद रफीक आयु 35 वर्ष पिता श्मसुजमा खान निवासी हांडीपारा आजाद चौक रायपुर को गिरफ्तार कर उसके पास से नगदी एक नग सट्टा डायरी जिसमें विभिन्न अंक व रुपयें 45 सौ दर्ज है। आरोपी के पास से नगदी 22 सौ रुपयें एवं एक नग कमर में छुपाकर रखा चाकू जब्त किया है।

### तेज रफ्तार कार ने बाईक सवार को मारी टक्कर, दो की मौत

**रायपुर।** रोड एक्सीडेन्ट में बाईक सवार दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पुलिस ने जांच के बाद कार चालक के खिलाफ धारा 304 ए का अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे हीरो पैशन प्रो.मोटरसाइकिल सवार मनहरण दास महेश्वरी आयु 40 वर्ष पिता विश्राम दास एवं सुरज खेलवार आयु 27 वर्ष पिता मोहनखेलवार की पुजारी पेट्रोलपंप के पास पचपेड़ीनाका के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल हो जाने पर इलाज के दौरान मौत हो जाने की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा व गवाहों से लिये गए बयान के बाद घटना स्थल के पास लगे सीसी टीवी फुटेज के आधार पर कार क्रमांक सीजी 13 सी 8707 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के वजह से एक्सीडेन्ट होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की है।

**गिरफ्तारी के महज 24 घंटे बाद ही आरोपी छात्र धर्मेन्द्र ने किया खुदकुशी**

# महिला आईपीएस पर परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

- **ट्रेनी आईपीएस रत्ना सिंह ने प्रताड़ना व डिप्रेशन वाली बात से किया इंकार**

नव प्रदेश संवादाता

**रायपुर।** राजधानी के पुरानी बस्ती थाना स्टाफ और महिला आईपीएस रत्ना सिंह पर आरोपी मृतक युवक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। प्रोफेसर कॉलोनी निवासी एक महिला की शिकायत के बाद आरोपी युवक धर्मेन्द्र आदिले को पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था। बताते हैं कि आरोपी युवक पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी रत्ना सिंह व स्टाफ ने प्रताड़ित किया। परिजनों के मुताबिक महज 24 घंटे में ही छूटकर घर आए धर्मेन्द्र ने आत्मग्लानी में फांसी लगाकर खुदकुशी को अंजाम दिया है। मृतक युवक के मामा रवि गिलहरे सरकारी स्कूल में लेक्चरार है और उनका आरोप है कि पुरानी बस्ती की ट्रेनी आईपीएस रत्ना सिंह व स्टाफ की सीधी कार्रवाई के अलावा एक मेधावी छात्र के साथ दुर्व्यवहार का नतीजा है कि धर्मेन्द्र ने आत्महत्या का रास्ता चुना।

परिजनों के आरोपों को सिरे से नकारते हुए आईपीएस रत्ना सिंह का कहना था कि थाने में युवक पर किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं हुई है, थाने में उसके व्यवहार में डिप्रेशन में आने जैसी कोई बात नहीं लगी, मैं मानती हूं कि उस परिवार का दुख काफी ज्यादा है, वो आरोप लगा रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन थाने का सीसीटीवी चालू था, अगर प्रताड़ना होती तो वीडियो में आया होगा, इसके अलावे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रताड़ना जैसी कोई बात होगी तो रिपोर्ट आयेगी, मैं हैरान हूं कि उस युवक ने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ नियम के मुताबिक कार्रवाई की है। महिला की शिकायत के आधार पर 151 के तहत कार्रवाई की गयी थी। थाने में जब तक वो रहा नार्मल था, लेकिन अचानक घर जाकर उसके दिमाग में क्या ऐसी बात आयी ये समझ से परे हैं।

**यह है पूरा मामला**

पुरानी बस्ती थाना में अपने पति के साथ एक महिला ने शिकायत की थी कि धर्मेंद्र उसे बराबर परेशान करता है। उसने उसकी फेसबुक आईडी भी हैक कर ली थी और सारे फोटो भी रख लिये थे। आरोप ये भी था कि धर्मेंद्र लगातार फोटो को महिला के परिजनों को भेज रहा था। इस मामले में फोन पर लगातार परेशान करने के बाद महिला ने जब फोन नंबर बंद कर दिया तो दूसरे परिजनों को फोन कर युवक परेशान करने लगा। महिला ने थाने में शिकायत के दौरान फोन नंबर भी धर्मेंद्र का दिया था। पुलिस को मिली इस शिकायत के बाद युवक के खिलाफ कल मंगलवार को धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गयी थी। आज सुबह युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों का आरोप है कि थाने में उसे प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया था।

## पश्चिम की जनता को मिल रहा गौ-धन योजना का लाभ : विकास उपाध्याय

- **हीरापुर में जर्जर हो चूके तीन पानी टंकियों को तोड़कर मिनी गार्डन बनाया जाएगा**

**रायपुर।** विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज दूसरे दिन ''विधायक तुँहर दुआर'' के तहत हीरापुर और टाटीबंध के पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लंबित प्रकरणों का निपटारा किया। उन्होंने कहा पश्चिम विधान सभा के लोगों को भी गौ-धन योजना का लाभ मिल रहा है एवं भूपेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाएँ आम जन के हित में फ्लीभूत हो रही हैं। क्षेत्र की जनता पिछले 02 वर्षों में विधायक द्वारा किये गए कार्यों से संतुष्ट है।

''विधायक तुँहर दुआर'' कार्यक्रम की शुरूआत के साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर पूरे पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। आज सुबह विधायक विकास उपाध्याय हीरापुर क्षेत्र के एक-एक गलियों का निरीक्षण कर आम जनता से लगातार मुलाकात कर क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों को सुलझाने को लेकर चर्चा की। इस बीच हीरापुर क्षेत्र में पानी के तीन ऐसे बड़े टैंक की जानकारी संज्ञान में आई जो वर्षों से खण्डहर हैं और पानी को लेकर इसकी जरूरत भी नहीं है। जिसे तोड़कर उन स्थानों में मिनी गार्डन बनाये जाने का विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं वर्षों पूर्व हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों से लगे नालियों में आ रही पानी सिवरेज की समस्या को लेकर विधायक विकास उपाध्याय ने नगर निगम के अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। विधायक विकास उपाध्याय ने बताया इस क्षेत्र में गौठानों से आम जनता को मिल रही आय को लेकर भी लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखी गई। अटारी एवं जरवाय में 02 गौठाने बनाई गई हैं जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। गोबर बिक्री के कार्य में लगे लोगों को जिन्हें एक ट्रॉली का 750 रूपये तक मिलता था।

## कलिंगा विवि के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

**रायपुर।** कलिंगा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में शोध प्रवृत्ति और नयी खोज को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न वेबिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहा है।जिसमें देश-विदेश के शीर्षस्थ विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है।जो विद्यार्थियों को किसी विशेष विषय पर अपने ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। इसी तारतम्य में कलिंगा विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में 'बायोफर्टिलाइज़र फार्मूलेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ।

कोरोना महामारी प्रकोप के कारण शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ सभी कार्यक्रम ऑनलाईन किए जा रहे है।इसीलिए उक्त राष्ट्रीय कार्यशाला का ऑनलाईन आयोजन संपन्न किया गया।राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन के प्रथम चरण में भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना करने के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

उक्त कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रुप में कमला नेहरू महाविद्यालय, नागपुर के प्रमुख प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष डॉ. संध्या मोघे उपस्थित थीड्ढ। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जैव उर्वरक का फसलों के ऊपर महत्व और सूक्ष्मजीवों के उपयोग से इसे बनाने की विधियों से भी अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि, जैवउर्वरक एक जीवित उर्वरक है, जिसमें सूक्ष्मजीव विद्मान रहते हैं। जो फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके साथ ही डॉ. संध्या मोघे ने जैव उर्वरक के सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादन की विधि को भी लाइव प्रसारित करके सिखाया। उक्त आयोजन में कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.आर.श्रीधर,महानिर्देशक डॉ.बैजू जॉन,कुलसचिव डॉ.संदीप गांधी,जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्ष डॉ.सुषमा दूबे,डॉ. रामस्वरुप सैनी,श्री डिलेन्द्र चंद्राकर, सुश्री निराली बुधभट्टी , श्री श्रीकांत सिंह,श्री राहुल चंद्राकर और विभाग के समस्त प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थें।कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय संगोष्ठी के समन्वयक डॉ. सुषमा दूबे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

## खाद्य विभाग में सहायक खाद्य निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों के तबादलों से 54 प्रभावित

- **प्रशानिक फेरबदल से कामकाज में आएगी तेजी**

**रायपुर।** खाद्य विभाग में गत एक दिसम्बर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 54 अधिकारियों में सहायक खाद्य निरीक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक के पदों पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जीएस सिकरवार द्वारा आदेश क्रमांक एफ-1-40/2020/29-1 के तहत जारी किये गये हैं। जारी आदेश में संचालनालय से लेकर जिला कार्यालय तक में पदस्थ अधिकारियों को आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया गया है। प्रभावित अधिकारियों की सूची इस प्रकार है-

मो. अल्लाउद्दीन खाद्य निरीक्षक मुंगेली यथावत, रोशनलाल गुप्ता सहायक खाद्य अधिकारी मुंगेली यथावत, कुमारी श्वेता अग्रवाल सहायक खाद्य अधिकारी सूरजपुर से सूरजपुर, जानकीशरण कुशवाह सूरजपुर से बालोद, सुधा महिलांग राजनांदगांव से दुर्ग, चम्पाकली जशपुर से जशपुर, प्रहल्लाद प्रसाद राठौर दंतेवाड़ा से बलौदाबाजार, मनीष जशपुर से जांजगीर चांपा, ज्योति साहू राजनांदगांव से बेमेतरा, कुमारी सरिता अग्रवाल महासमुंद से रायपुर, विक्रांत नायडू सुकमा से सुकमा यथावत, सुशील शर्मा बस्तर से महासमुंद, सुशील टंडन मुंगेली से दंतेवाड़ा, कमलेश पटेल सूरजपुर से खाद्य संचालनालय रायपुर, कुमारी प्राची सिन्हा रायगढ़ से बस्तर, रामनारायण साहू बलौदाबाजार से बीजापुर, लक्ष्मण प्रसाद कश्यप बेमेतरा से बलौदाबाजार, मनोज सारथी रायगढ़ से बीजापुर, रविकुमार राज रायढ़ दंतेवाड़ा, बिन्दू प्रधान रायपुर से दुर्ग, वीरेन्द्र पंकज पोर्ते रायगढ़ से बीजापुर, गौरसिंह जातरे महासमुंद से सरगुजा, द्रोण कामड़े राजनांदगांव से बलौदाबाजार, कुमारी वर्षा चौहान रायगढ़ से महासमुंद, राजन कश्यप रायगढ़ से सरगुजा, शैलेन्द्र कुमार एक्का रायगढ़ से सरगुजा, हरीश कुमारी सोनेश्वरी कोरबा से सरगुजा, विनोद कुमार सागर राजनांदगांव से कोरिया, संजय कुमार ठाकुर बलौदाबाजार से कोरिया, मनोज बघेल बिलासपुर से सुकमा, विवेक मिश्रा दुर्ग से बेमेतरा, संतोष कुमारी आहिरे कोरिया से सूरजपुर, कुमारी वसुधा राजपूत बिलासपुर से सुरजपुर, कुमारी विभाकिरण रायपुर से धमतरी, हितेश दास मानिकपुरी कोंडागांव से रायगढ़, संतोष कंवर जांजगीर चांपा से बलरामपुर, कु. मनीषा कश्यप जांजगीर चांपा से धमतरी, कु. ललिता शर्मा जांजगीर चांपा से महासमुंद, अनूप कुजूर सरगुजा से जशपुर, कुमारी उर्मिला गुप्ता कोरबा से राजनांदगांव , कुमारी श्वेता दीवान रायपुर से कवर्धा, सुधरी खेस्स जशपुर से बालोद, कुमारी ज्योति मिश्रा जांजगीर चांपा से गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, गुलशन अनंत जशपुर से बलरामपुर, कु. सरस्वती बालोद से गरियाबंद, कुमारी नीतू सिंह नेताम बेमेतरा से धमतरी, कुमारी आरती यादव महासमुंद से गरियाबंद, नरेन्द्र कुमार पिपरे धमतरी से गरियाबंद, कुमारी हेमा नाग बालोद से महासमुंद, कुमारी सोनाली ठाकुर गरियाबंद से बलौदाबाजार, भूवनेश्वर सोरी बस्तर से बलौदाबाजार, कुमारी श्रद्धा चौहान संचालनालय रायपुर से रायगढ़ एवं योगेश मिश्रा दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा स्थानांतरित किये गये है। जारी आदेश में उक्त समस्त तबादले प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं। थोक में हुए तबादले के कारण खाद्य विभाग में हड़कम्प का माहौल बन गया है।

## सामान खरीदने के दौरान व्यापारी के थैले से 95 हजार रुपए पार, सीसी कैमरा में दिखा चोर का चेहरा

**रायपुर।** सामान खरीदने गये व्यापारी के थैला से 95 हजार रुपयें चोरी करते सीसी कैमरा चोर कैद हो गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

मानाकैम्प पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंगबोर्ड कालोनी बोरियाकला रायपुर निवासी नवीन राजदेव 29 वर्ष पिता राधाकृष्ण राजदेव ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी 26 नवंबर को अंबिका ट्रेडर्स थोक बाजार डुमर अपने दुकान के लिये सामाना खरीदने गया हुआ था। सामान खरीदने के दौरान दुकानदार को थैला से निकालकर 20 हजार रुपयें पेमेन्ट करने के बाद 95 हजार रुपयें थैला में रख चावल की बोरी के उपर रखा था। पेमेन्ट करने के बाद थैला व सामान लेकर घर चला गया,वहां जाकर थैला में रखे रुपयें चेक किया तो नही मिला।

# धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने का प्रयासः जयसिंह अग्रवाल

- **कोरबा में राजस्व मंत्री ने दो नवीन उपार्जन केन्द्र का किया शुभारंभ**

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में एक दिसम्बर से धान खरीदी उत्सव प्रारंभ हो गया है। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी ना हो इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। किसानों के लिए उनके गांवों के आस-पास ही धान खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। इसके लिए राज्य शासन ने इस खरीफविपणन वर्ष में करीब 260 नवीन धान खरीदी केन्द्र बनाए है। इसी कड़ी में प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में दो नवीन धान उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ किया। राजस्व मंत्री ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 48 सुमेधा और वार्ड क्रमांक 31 दादरखुर्द धान उपार्जन केन्द्र का उद्घाटन किया। नवीन धान खरीदी केन्द्र शुरू होने से क्षेत्र से लगे गांव के किसानों को लम्बी दूरी तय करके धान बेचने जाने से मुक्ति मिलेगी। गांव के पास ही धान

खरीदी केन्द्र शुरू होने से धान बेचने में किसानों को सहूलियत भी होगी। धान खरीदी केन्द्र सुमेधा के लोकार्पण समारोह में राजस्व मंत्री ने कहा कि सुमेधा में धान खरीदी केन्द्र शुरू होने से आसपास के लगभग आठ गांवो सेमीपाली, नागिनभाठा, केंदईखार, सुमेधा, लाटा, अगारखार, कुमगरी तथा सलियाभाठा के किसानों को अपने उपार्जित धान को बेचने के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर कनबेरी धान खरीदी केन्द्र नहीं ले जाना पड़ेगा। इन आठ गांवो के किसानों को सुमेधा में धान बेचने की सहूलियत होगी तथा धान को दूरस्थ खरीदी केन्द्र ले जाने में लगने वाला समय और पैसे की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश के किसानों को हर संभव सुविधा देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। किसानों को उनका धान उनके गांव में व आसपास ही बेचने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में इस वर्ष कुल 7 नवीन धान उपार्जन केन्द्र की स्थापना के साथ कुल 49 उपार्जन केन्द्र संचालित है।

कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुमेधा के नवीन धान केन्द्र में अगारखार, लाटा, केन्दईखार, सेमीपाली, सुमेंधा, कुमगरी, सलिहाभांठा, नागीनभांठा के किसानो को सुविधा मिलेगी इसके अलावा ग्राम जमनीपाली, बलगीखार, डगनियाखार, छुराकछार, स्याहीमुड़ी, बरेडीमुड़ी, डुमरमुड़ा, गोपालपुर, भाठापारा, कुदूरमाल, चोरभट्ठी भी शामिल किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसी प्रकार दादरखुर्द के धान खरीदी केन्द्र में दादरखुर्द, खरमौरा, ढेलवाडीह, बरबसपुर, झगरहा के अलावा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नकटीखार गोढ़ी, पंडरीपानी, करूमौहा, बुंदेली, डुमरडीह और मुसलीडीह के किसानों को सुविधा प्राप्त होगी। खरीदी केन्द्र के लोकार्पण समारोह के दौरान सुमेधा के पूर्व सरपंच श्री भजन कंवर ने अपने गांव में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्र की स्थापना से खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि धान विक्रय करने के लिए 22 कि.मी. की दूरी तय कर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। अब गांव में ही धान खरीदी केन्द्र खुलने से हम सब काफी खुश हैं। कृषक श्री त्रिभुवन सिंह कंवर एवं श्री इतवार सिंह कंवर ने ग्राम सुमेंधा में तथा श्री अमन पटेल व श्री अरूण यादव ने ग्राम दादरखुर्द में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकार एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारे गांव के अलावा आसपास के गांव के कृषकों को अपनी उपज बेचने के लिए अब दूर तक सफर तय नही करना पड़ेगा।

सुमेधा और दादर खुर्द में धान उपार्जन केन्द्र के लोकार्पण समारोह के दौरान महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्री श्यामसुंदर सोनी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर सहित जनप्रतिनिधिगण सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षकगण, संचालन समिति के पदाधिकारीगण तथा कृषकगण मौजूद रहे।

## संपादकीय

# गुजरात हाई कोर्ट का अनूठा आदेश

जब सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल सिद्ध होती है तब न्यायालय को दखलंदाजी करनी ही पड़ती है। देश व दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस ने हमला किया है। भारत के कई राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात आदि में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। गुजरात में अब तक दो लोख से अधिक मामले सामने आ चुके है और लगभग 4 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने की नौबत आ चुकी है। इसके बवजूद लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना निहायत जरूरी है लेकिन लोग मास्क को बेकार की चीज समझने लगे है और बगैर मास्क लगाए बाजार व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विचरण करते है। सरकार ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ 100-200 रूपए जुर्माने का प्रावधान किया है लेकिन इस अर्थदण्ड की भी लोग परवाह नही कर रहे है और बगैर मास्क पकड़े जाने पर 100-200 रूपए का जुर्माना भर कर निकल जाते है। गुजरात हाई कोर्ट ने मास्क न लगाने वालों के लिए एक अनूठा आदेश जारी किया है जो न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अन्य राज्यों के लिए अनूकरणीय भी है। गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क न लगाने वाले लोगों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया है और कहा है कि जो लोग लापरवाही बरत रहे है और बगैर मास्क लगाएं घूम रहे है उन्हे पकड़ा जाए और कुछ समय के लिए उनसे कोरोना मरीजों की देखभाल कराने के लिए कोविड केयर सेंटर में रखा जाएं। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए जल्द से जल्द आदेश जारी करें। निश्चित रूप से गुजरात हाईकोर्ट का यह अनूठा आदेश स्वागत योग्य है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां भी राज्य सरकारों को इसी तरह का आदेश पारित करना चाहिए। जो लोग बगैर मास्क के घूमते है उन्हे शायद इस बात का गुमान है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है इसलिए कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि ऐसा ही है तो ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लगाना चाहिए। जब तक ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक लोग नहीं सुधरेंगे।

## विचार

# आस बंधाते आंकड़े, कम हुई जीडीपी की गिरावट

ध्यान रहे, वित्त वर्ष की इस दूसरी तिमाही का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन के प्रभाव में गुजरा था। तकनीकी तौर पर वह लॉकडाउन के खुलने का, यानी अनलॉक का दौर था, लेकिन आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे ही शुरू हो पाई। इस लिहाज से देखा जाए तो इसे काफी तेज रिकवरी कहा जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के भी जीडीपी आंकड़े नेगेटिव में होने और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से गुजरने की औपचारिक पुष्टि हो जाने के बावजूद सरकार और अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रिया चिंता के बजाय राहत की है। इसका कारण यही है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में हालात जितने बुरे होने संभावित थे, उससे कम बुरे निकले। अप्रैल से जून वाली तिमाही में 23.9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट देखने के बाद इस बार के लिए विशेषज्ञ जीडीपी में 7.9 से लेकर 8.8 फीसदी तक की गिरावट के अनुमान लगा रहे थे। खुद रिजर्व बैंक का मानना था कि गिरावट 8.6 फीसदी रहेगी। ऐसे में जब शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि वास्तविक गिरावट महज 7.5 फीसदी दर्ज हुई है तो इस पर थोड़ी खुशी स्वाभाविक है।

ध्यान रहे, वित्त वर्ष की इस दूसरी तिमाही का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन के प्रभाव में गुजरा था। तकनीकी तौर पर वह लॉकडाउन के खुलने का, यानी अनलॉक का दौर था, लेकिन आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे ही शुरू हो पाई। इस लिहाज से देखा जाए तो इसे काफी तेज रिकवरी कहा जाएगा। हां, इसके आधार पर अगर कोई अगली तिमाहियों में विकास दर के चौकड़ी भरने की उम्मीद पाल ले तो उसकी व्यावहारिकता संदिग्ध होगी। ब्यौरे में जाएं तो इस तिमाही में अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्रों से ही मिली है। प्राइमरी सेक्टर में रखे जाने वाले इन उद्यमों ने पहली तिमाही की ही तरह इस बार भी 3.4 फीसदी बढ़ोतरी की स्थिर दर बरकरार रखी।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी को उत्साहवर्धक कहा जाएगा, क्योंकि पहली तिमाही में इस क्षेत्र में 39.3 फीसदी की भीषण गिरावट आई थी। यह इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन के लंबे गैप के बाद फैक्ट्रियों में थोड़ा-बहुत उत्पादन शुरू हुआ और उनसे जुड़े लाखों लोगों की रोजी-रोटी का इंतजाम हुआ। इनके अलावा लगभग सारे ही क्षेत्रों में पहली तिमाही के मुकाबले कम, लेकिन गिरावट ही दर्ज हुई। ऐसे में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिल्कुल सही कहा कि इस मोड़ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो मांग पैदा हुई दिख रही है, वह टिकी रहेगी या नहीं। इस बिंदु पर दो-तीन ऐसे कारक मिलते हैं जो भविष्य को लेकर ज्यादा खुश होने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। एक तो यह कि पिछली तिमाही देश के त्योहारी सीजन से ठीक पहले की थी। उस दौरान विभिन्न उपभोक्ता सामानों का जो उत्पादन हुआ, उसके पीछे यह उम्मीद थी कि त्योहारों के दौरान वे बाजार में खप जाएंगे। यह कितना हो पाया, इसका हिसाब बाद में होगा लेकिन एक बात तय है कि तीसरी-चौथी तिमाहियों में फेस्टिव सीजन जितने बड़े पैमाने के उत्पादन का जोखिम कोई उद्यमी नहीं उठाता।

# ममता बनर्जी की फिसलती सत्ता?

विष्णुगुप्त

> अवैध घुसपैठ से अराजकता बढती है, हिंसा बढती है, भूमि की कसौटी पर टकराव बढता है, बेरोजगारी बढती है, कानून - व्यवस्था की समस्या खडी होती है। इस सिद्धांत की अवहेलना वामपंथियों ने की थी और अब इस सिद्धांत की अवहेलना ममता बनर्जी ने भी की है। इसलिए आज पूरा पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठियों के कब्जे में कैद हो गया है। संरक्षण के कारण अवैध घुसपैठिये टीएमसी के कार्यकर्ता बन गये है। टीमएसी में शामिल होकर अवैध घुसपैठिये राजनीतिज्ञ भी बन गये है। जब हिंसा चरम पर होगी, राजनीति पूरी तरह से हिंसक होगी, अवैध घुसपैठियों की पौबारह होगी तब औद्योगिक धंधों के विकास और रोजगार के सृजन की उम्मीद दफन हो जाती है। आज कौन सा बड़ा उद्योग पश्चिम बंगाल में है? निवेश की कसौटी पर पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब औद्योगिक धंधे नहीं होगे तब रोजगार के साधन भी विकसित नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर न केवल बैरोजगारी बढती है बल्कि अराजकता और भूखमरी भी पसरती है।

क्रांति काल और शांति काल की राजनीति में अंतर होता है। क्रांति काल की राजनीति की सीमाएं अराजक भी होती हैं, उफान वाली भी होती हैं, हिंयक भी होती हैं, सारी मान्यताओं और परमपराओं को तोड़ने वाली होती है जबकि शांति काल की राजनीति न तो अराजक होती है और न ही मान्यताओं और परमपराओं को लांघने या फिर विध्वंस करने की उम्मीद बनती है, शांति काल की राजनीति को कानून और संविधान के दायरे में कसने की जरूरत होती है, जनकांक्षाओं की कसौटी पर उतरने की अपेक्षाएं होती हैं। भारतीय राजनीति में ये सीमाएं बार-बार देखी जाती है। ममता बनर्जी की राजनीति की भी दो सीमाएं रही हैं, एक क्रांति काल की सीमाएं और दूसरी शांतिकाल की सीमाएं। शांति काल का अर्थ जब वह सत्ता में विराजमान हुई तब की राजनीति की उनकी क्रियाएं।

ममता बनर्जी की राजनीति का प्रथम भाग यानी क्रांति काल बेहद ही उफान वाली, बवंडर वाली, जनाक्रोश वाली, सभी मान्यताओं और परमपराओं को तोड़ने वाली रही है, अपनी राजनीतिक बवंडर से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक सत्ता को न केवल वुनौती दी थी बल्कि उस राजनीतिक सत्ता को उखाड़ भी फेंकी थी जो राजनीतिक सत्ता 30 सालों तक अपराजेय थी और जिस सत्ता को इन्दिरा गांधी-राजीव गांधी भी विध्वंस करने की उपलब्धि दिखाने में असफल साबित हो गये थे। वामपंथी सरकार बेहद ही तानाशाही और गुंडई की प्रतीक थी, जिनकी सत्ता में राजनीतिक परिवर्तनवादियों को बलपूर्वक और साजिशन निपटा दिया जाता था, बडे आंदोलन खड़ा करने का सपना पूरा नहीं होता था। पर वामपंथियों का एकाएक पूंजी प्रेम आत्मघाती हुआ, टाटा और विदेशी कपंनियों को आमंत्रित करना उनके अस्तित्व के लिए काल बन गया। सिंदुर और नंदीग्राम आंदोलन की कोख से ममता बनर्जी की सत्ता का जन्म हुआ जो पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक घटना बन गयी। कहने का अर्थ यह है कि कांतिकाल की राजनीति में ममता बनर्जी सौ प्रतिशत सफल राजनीतिज्ञ साबित हुई थी।

पर क्या शांति काल की राजनीति यानी सत्ता की राजनीति मे भी ममता बनर्जी सफल हुई हैं? क्या ममता बनर्जी क्रांति काल की

तरह ही शांति काल में भी अपनी सरकार को जनांकाक्षी बनाने में सफल हुई हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में दूरदर्शिता कायम करने में सफल हुई? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में पश्चिम बंगाल में विकास की योजनाओं का लागू करने में दक्ष साबित हुई है? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में पश्चिम बंगाल में हत्याओं की राजनीति पर रोक लगाने में सफल हुई है? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में केन्द्र की सरकार के साथ दुश्मनी पालने की दोषी हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में कामयाब हुई हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी सरकार में पश्चिम बंगाल में आम जनता के पलायन को रोकने और देशज रोजगार को सजृत करने में कामयाबी हासिल की है? क्या ममता बनर्जी बाग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने और आबादी आक्रमण के खिलाफ वीरता दिखाने के लिए राजधर्म का पालन किया? ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और इन्ही प्रश्नों की पडताल कर ममता बनर्जी की सत्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

बडी शख्सियत, बडे योजनाकार, बडे राजनीतिज्ञ कभी भी लिक के फकीर नहीं होते हैं, इतिहास वही गढते हैं, प्रेरणा वही बनते हैं, आईकॉल वही बने हैं जो कभी भी लिक के फकीर नहीं बनते हैं, जो किसी की फोटो कॉपी बनने से इनकार कर देते हैं और नया लकीर खींच देते हैं, नया करने की उपलब्धि सुनिश्चित करते हैं। इस कसौटी पर ममता बनर्जी का जब मूल्यांकन होता है तब बहुत ही निराशा होती है, हताशा होती है कि एक क्रांति काल का सफल और प्रेरणा दायी राजनीतिज्ञ कैसे और क्यों लिक का फकीर बन गया, असफल साबित हो गया, पिछली वामपंथी सत्ता की फोटो स्टेट कॉपी बन गयी। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अपनी प्रतिद्वंद्वी वामपंथी पार्टियों की शासन व्यवस्था, वामपंथी पार्टियों की राजनीतिक शैली, वामपंथी पार्टियों की तानाशाही प्रेम के समुद्र में डूब गयी। वामपंथी सरकार की शैली और एजेंडा गुंडागर्दी की थी, हत्या की राजनीति की थी, औद्योगिक विध्वंस की थी, आधुनिक रोजगार की व्यवस्था के विरोधी की थी, राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर अपना वोट बैंक तैयार रखने और अपनी सत्ता को जीवंत रखने की थी। यही कारण था कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के खिलाफ कोई एक नहीं बल्कि तीस सालों तक कोई विकल्प तैयार नहीं हुआ था। आम जनता भी विकल्प के अभाव में वामपंथी सरकार को बार बार जीवन दान देती रही थी।

वामपंथियों के हथकंडे ममता बनर्जी क्यों अपनायी? वामपंथी तो जन्मजात हिंसक, हत्यारा, अमानवीय, तानाशाही और लोकतंत्र खोर होते हैं, ये सब उनकी पार्टी का अपरिवर्तनशील सिद्धांत है जिसका स्पष्ट उदाहरण चीन से लेकर सोवियत संघ के अलावा भी जहां-जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही है वहां वहां देखने को मिलता है। जब ममता बनर्जी आंदोलन रत थी तब पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बडी संख्या में हत्या होती थी, ममता बनर्जी खुद कई बार कम्युनिस्टों के हमले में घायल हो चुकी थी, घायल अवस्था में चैयर पर बैठ कर ममता बनर्जी राज्यपाल और संसद तक प्रदर्शन की थी। उस समय कम्युनिस्टों की इस हिंसा से देश भर में चिंता व्याप्त हुई थी। अब यही हथकंडा ममता बनर्जी ने अपना लिया है। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हजारों ऐसी हत्याएं हुई हैं जो राजनीतिक प्रतिशोध का दुष्परिणाम रही है। त्रीनमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है उनकी गुंडागर्दी की राजनीति तो कम्युनिस्टो की सत्ता के समय की गुंडागर्दी की राजनीति को मात दे दिया है। यह सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि इसमें सच्चाई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति सच है। हिंसा की राजनीति का अस्तित्व शहर से लेकर गांव-गांव तक उपस्थित है। वामपंथी पार्टियां भी कहती हैं कि ममता बनर्जी के राज में उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत का घाट उतार दिया गया। पुलिस और प्रशासन राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ कोई कारवाई करती नहीं है खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निशाने पर ज्यादा है।

# किसानों को यदि भ्रम है तो उसे सरकार दूर क्यों नहीं करती?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

> सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं, उनके अनुसार अब किसान अपना माल मंडियों के अलावा बाहरी बाजारों में भी बेच सकेंगे। किसानों को सरकार की इस घोषणा पर भरोसा नहीं है कि उन्हें अपने माल के ज्यादा पैसे मिलेंगे या कंपनियों से सौदा हो जाने पर उन्हें बीज, खाद, सिंचाई, बिक्री आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें डर है कि मंडी-व्यवस्था धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। यह डर दो कारणों से मजबूत हुआ है। पहला तो केंद्रीय वित्त मंत्री का नवंबर 2019 का वह बयान है, जिसमें उन्होंने मंडी-व्यवस्था को 'गई-बीती' बताया था और यह भी कह दिया था कि अब उसके विदा होने के दिन आ गए हैं।

किसान नेताओं और केंद्र सरकार के नेताओं की बीच आज बात शुरु हो गई है। यह अच्छी बात है लेकिन यह बात कब शुरु हुई ? जब पंजाब और हरयाणा के हजारों किसानों ने सीधे दिल्ली पर धावा बोल दिया? मैं पूछता हूं कि संसद में कानून बनाने के पहले किसान नेताओं से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया ? विपक्षी नेताओं का अभिमत क्यों नहीं जाना गया? इस कानून को इतनी झटपट क्यों थोप दिया गया? इसे संसदीय समिति को पहले क्यों नहीं सौंपा गया ? भाजपा के सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बावजूद सरकार ने अपने कानून पर पुनर्विचार करने की बात नहीं सोची। संसद के अल्पकालीन सत्र में इन कृषि-विधेयकों पर सांगोपांग बहस भी ठीक से नहीं हो सकी।

अब जबकि दिल्ली पर किसानों की भीड़ जमा होने लगी तो सरकार के होश फाख्ता हो गए। वे दिल्ली में न घुस आएं, इसलिए उन पर क्या-क्या जुल्म नहीं किए गए। पंजाब और हरयाणा के किसान इस बार अपना राशन-पानी लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। वे चौधरी चरणसिंह और महेंद्रसिंह टिकैत के किसानों की तरह दो-चार दिन के लिए नहीं आए हैं। क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने की पहल करते लेकिन अब भी सरकार सत्ता के अहंकार से मुक्त होकर किसानों से बात करेगी तो इस समस्या का सर्वहितकारी समाधान हो सकता है। यदि शासन-विरोधी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो विपक्षी दल चुप क्यों बैठेंगे ? वे बोल रहे हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह आंदोलन खालिस्तानियों और कांग्रेसियों ने खड़ा किया है। कुछ किसानों ने भाजपा और नरेंद्र मोदी के बारे में जो जहरीले बयान दिए हैं, वे निंदनीय हैं लेकिन यह आंदोलन अपने ही पांवों पर चलकर दिल्ली पहुंचा है। भाजपा की केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पंजाब कल तक आतंकवाद का गढ़ था, वहां बगावत के बीज फिर से न फूटने लगें। इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरयाणा के अलावा अन्य प्रांतों के किसान भी जुड़ने लगे हैं। खेती के संबंध में जो तीन कानून बने हैं, कुछ किसान नेता उन सभी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं लेकिन आंदोलनकारी किसानों का ध्यान मुख्य रुप से एक ही मुद्दे पर टिका हुआ है। उन्हें शक है कि उनकी उपज पर उन्हें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलता है और मंडियों में उनका माल जिस आसानी से बिक जाता है, उनकी यह सुविधा अब चुप-चाप खत्म हो जाएगी और वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों के हाथ के खिलौने बन जाएंगे। उनका अनाज और फसलें फिर मिट्टी के मोल बिकेंगी। दूसरा कारण है, यह प्रचार कि मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है।

सरकार का कहना है कि यह दुष्प्रचार भर है। यह गलतफहमी है। इसे विपक्ष फैला रहा है। मान लिया जाए कि यह ठीक है तो सरकार इस गलतफहमी को पिछले दो-ढाई माह में दूर क्यों नहीं कर सकी ? भाजपा में प्रचार-पंडितों की कमी नहीं है। उन्हें किसानों को सिर्फ एक बात ही समझानी है। वह यह कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। तो वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा को कानूनी रुप क्यों नहीं दे देते ? यह ठीक है, अभी भी उसके पीछे कानून नहीं है लेकिन अब गलतफहमी इतनी फैल गई है कि उसे कानूनी रुप दे देने में सरकार को क्या संकोच है ? कुछ अन्य छोटे-मोटे मुद्दे भी हैं, जिन पर सहमति होना कठिन नहीं है। सरकार समय-समय पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती रहती है। अभी तक सिर्फ 23 फसलों पर यह होता है जबकि भारत में कम से कम 200 तरह की फसलें होती हैं। पंजाब और हरयाणा में गेहूं और धान की फसलें सबसे ज्यादा मंडियों में बिकती हैं। सरकार इनकी सबसे बड़ी खरीद करती है। देश की कुल उपज का सिर्फ 6 प्रतिशत माल ही मंडियों में बिकता है। बाकी 96 प्रतिशत फसलों के लिए भी सरकार को कोई कमोबेश 'दाम बांधो' नीति बनानी चाहिए या नहीं ? इन फसलों को बेचनेवाले किसान ही गरीबी, बेकारी और लूट के शिकार होते हैं। उन्हें अपनी लागत से सवाई या डेढ़ी कीमत मिले, इसका प्रबंध भी सरकार क्यों नहीं करती ? केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने 16 सब्जियों के न्यूनतम मूल्य घोषित किए हैं। इनसे किसानों को अपनी लागत से 20 प्रतिशत मूल्य ज्यादा मिलेगा और उन्हें नुकसान होने पर 32 करोड़ रु. तक की सहायता सरकार देगी। भारतीय खेती को अमेरिका की तरह खुला बाजार दे देना तो ठीक है लेकिन सरकार उन्हें क्या अमेरिकी किसानों की तरह प्रतिवर्ष 62 हजार डालर की सहायता दे सकती है ? वहां खेती में 2 प्रतिशत से भी कम लोग हैं जबकि भारत में लगभग 50 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यदि खेती खुलती है तो उत्पादन बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और भारत बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है लेकिन खेती के मूलाधार किसान का विश्वास जीते बिना इस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है।

## पाठकों की बात

## पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

### हमें ज़ीस्त में जोड़

हमें ज़ीस्त में जोड़ लो या घटा दो मगर हो सकें तो, जरा हौसला दो पराया अगर मानते जो नहीं तुम हमें आज अपनी मुहब्बत जता दो खड़े एक मुद्दत से दीदार को हम हया छोड़ अपनी ये पलकें उठा दो बहुत बेबसी है, मेरी ज़िंदगी में उन्हें कोई कह दे नहीं अब कज़ा दो ख़ता गर हुई मांग लेंगे मुआफी मगर इस क़दर तो नहीं तुम सज़ा दो निग़ाहें बुरी डालते जो वतन पर तुम्हें है क़सम आज उनको मिटा दो न पूछो मुहब्बत हमें तुमसे कितनी जहां छोड़ देंगे अगर तुम रज़ा दो। - **सुरेश अग्रवाल**

### पाके फर ह पेंड़ ले

पाके फर ह पेंड़ ले टुप ले जाने कब गिर जाही भले कतकों गुरतुर होथे फेर तुरते वो सर जाही बस अइसनेच जिनगी होथे मनखे के घलो संगी गुरतुर होथे संझा बेरा, फेर तुरते उहू बुड़ जाही।

- **सुशील भोले**

### ख़ास पाती | आया भारत में कोरोना

आया भारत में कोरोना। हो गया मनुष्यों का रोना।। साबुन से हाथों को धोना। साफसफाई करके सोना।। मुख में दिनभर मास्क लगावे। तभी घरों से बाहर जावे।। नही किसी से डरना यारों। साथ साथ तुम रहना प्यारों।। नही किसी से हाथ मिलाओ। दो गज की दूरी अपनाओ।। साफसफाई करते रहना। सर्दी खाँसी तुम ना सहना।। काम काज सब बंद करावे। कोरोना को सभी हरावे।। धरती पर कोरोना आया। पूरी दुनिया में है छाया।। चीन देश लाई बीमारी। पहले उसकी आई बारी।। कोरोना को मार भगाओ। मिलकर के तुम इसे हराओ।।

- **प्रिया देवांगन**

### कवि मन बैठा नित करे,भावों की मनुहार। शब्द खड़े हों थाल ले

कवि मन बैठा नित करे,भावों की मनुहार। शब्द खड़े हों थाल ले ,स्वागत को तैयार। स्वागत को तैयार ,करें जब पूर्ण समर्पण। आते हैं शुचि भाव,हमेशा तब ही कवि मन।।

- **डॉ बिपिन पाण्डेय**

### योगीजी अच्छे अच्छे नायक नायिका डिरेक्टर, गायक, गीतकार

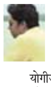

योगीजी अच्छे अच्छे नायक नायिका डिरेक्टर , गायक , गीतकार आदि को यूपी फिल्मसिटी ले जाइये और नशेड़ी भंगेड़ियों को बॉलीवुड में ही रहने दीजिए , और हाँ योगीजी अक्की को भी अपने से दूर ही रखिए क्योंकि इससे हार्पिक की बू आती है । - **राजीव वर्मा**

### गांव में रातें बड़ी होती हैं और होता

गांव में रातें बड़ी होती हैं और होता है बड़ा सुकून भी किंतु जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं भागने लगते हैं नगरों और फिर महानगरों की तरफ फलस्वरूप बौना होने लगता है हमारा कद और छोटी होने लगती हैं हमारी रातें क्रमशः साथ ही छोटा होने लगता है हमारा सुकून भी।

- **ममता अमर**

### साल का आख़री महीना ...सभी हंसेंगे

साल का आख़री महीना सभी हँसेंगे नए के आगमन पर लेकिन हमने कभी नहीं चाहा था अपने प्रिय पुराने को नए से बदलना फ़िर भी दिसम्बर समेटकर ले ही गया मेरा अभीष्ठ इसलिए जिसके बिना अब हम बस चूकि में ज़िंदा हैं । माँ तुम जहाँ हो खुशहाल रहना।

-**कल्पना मनोरमा**

### स्त्री तुम खूबसूरत हो, पर समाज के

स्त्री तुम खूबसूरत हो, पर समाज के अनुसार कोमल हो और धरा के हिसाब से बहुत सहनशील हो... स्त्री तुम अपने गर्भ में संतान को वो सुरक्षा प्रदान करती हो जैसे नभ तारों को बादलों की ओट में सुरक्षित रखता है। यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं...! यकीनन। **अनुभूति 'अनु'**

### नीला रंग मुझे भाता है?

नीला रंग मुझे भाता है?? ऊर्जा लाता है, आत्मविश्वास की?? चमक से चमकाता है। सुनो साँवरे !तुम भी तो नीले और हाँ, आकाश का रंग भी तो नीला और मुझे आकाश का??? विस्तार भाता है। फिर अंत का उजास और स्मृति का रंग भी नीला होता है। साँवरा नीला आकाश का विस्तार मन को भावत है।??

- **रेनू शब्दमुखर**

## QUIZ TIME

1) 'छत्तीसगढ़ के लोकगीत' नामक रचना निम्न में से किसकी है? (श्यामचरण दुबे / दानेश्वर वर्मा)
2) छत्तीसगढ़ में 'अमझोरा' क्या है?
3) छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला कौन-सा है?
4) मध्यप्रदेश के प्रथम आई.सी.एस. अधिकारी श्री एल.आर.एस.सिंह छत्तीसगढ़ के किस रियासत के राजा थे?
5) महारानी विक्टोरिया द्वारा 'केसर-ए-हिन्द' उपाधि लेने की स्मृति में रायपुर में जयस्तम्भ चैक के पास 'केसर-ए-हिन्द दरवाजा' किस सन् में बनाया गया था?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) दानेश्वर वर्मा (2) विवाह पूर्व गीत (3) जांजगीर-चांपा (4) कवर्धा (5) 1877

## आज का इतिहास

**नई दिल्ली (वार्ता)।** 1796 - बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। वह मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1828 - एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति चुने गए। 1829 - वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगायी। 1882 - प्रसिद्ध चित्रकार एवं संविधान की मूल कृति के डिजाइनर नंदलाल बोस का जन्म। 1884 - भारत के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का जन्म। 1889 - क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म। 1910 - फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री जॉर्जेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैम्प का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन। 1912 - तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेग्रो ने युद्धविराम समझौता किया। 1937 - भारतीय भाषाविद विनोद बिहारी वर्मा का जन्म। 1948 - पूर्वी चीन सागर में चीनी शरणार्थी को ले जा रहे जहाज कियांग्या में विस्फोट होने से 1,100 लोगों की मौत। 1967 - भारत के पहले रॉकेट (रोहिणी आर एच 75) का थुम्बा से प्रक्षेपण किया गया। 1971 - भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। 1979 - हॉकी के जादूगर ध्यान चंद का निधन। 1984 - भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से विषैली गैस लीक होने से कम से कम 3000 लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए। 1989 - तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाच्योव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की।

# KGF डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे 'बाहुबली' प्रभास

**नई दिल्ली।** साउथ सुपरस्टार प्रभास जल्द ही एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। बाहुबली स्टार जल्द ही केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म 'सालार' में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। तरण आदर्श ने एक ट्वीट में लिखा- 'बिग न्यूज, प्रभास ने केजीएफ डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है। प्रभास डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का नाम सालार है। फिल्म के प्रोड्यूसर केजीएफ निर्माता विजय किरगंदुर हैं।' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा- 'फिल्म की शूटिंग साल 2021 में शुरू होगी। हम्बेल फिल्म्स के बनैर तले बनने वाली सालार 'केजीएफ 2', 'केजीएफ चैप्टर 2' के बाद तीसरी बड़ी फिल्म होगी।' ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट के साथ फिल्म सालार में प्रभास का फर्स्ट लुक भी जारी किया है। पोस्टर में प्रभास काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म में प्रभास का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैन्स बेहद उत्साहित हैं।

# वरुण धवन कल अपनी 'स्पेशल लेडी' से फैन्स को करवाएंगे मुलाकात

**नई दिल्ली।** बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी नई फिल्म कुली नंबर 1 को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वरुण के साथ सारा अली खान लीड रोल में नजर आएंगी। अब वरुण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह फैन्स को किसी स्पेशल लेडी से मिलवाने वाले हैं। वीडियो में वरुण धवन कहते हैं, ''जिंदगी में छुपना- छुपाना बहुत ज्यादा हो गया है और अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता हूं। अफवाहें इतने हो गए हैं आप हर बार सफाई नहीं दे सकते हैं। ऐसे में मैंने डिसाडड किया है कि कल मैं आप सबको आपकी भाभी से मिलाने वाला हूं।'' ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड नताशा से शादी करने की बात कर रहे है? या फिर यह सरप्राइज कुछ और है? खैर यह जानने के लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। बता दें कि वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1, 25 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म में वरुण और सारा के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे सितारे नजर आएंगे।

# 'कुली नंबर 1' का हिस्सा बनना चाहते थे शक्ति कपूर, इस वजह से नहीं बन पाई बात

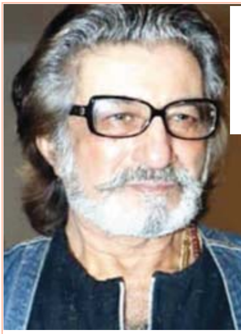

**नई दिल्ली।** बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर ने गोविंदा की साल 1995 में रिलीज फिल्म कुली नंबर 1 में गोवर्धन मामा का किरदार निभाया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। अब शक्ति कपूर इस सुपरहिट फिल्म के रीमेक 'कुली नंबर 1' को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म कुली नंबर 1 में वरुण धवन और साारा अली खान लीड रोल में हैं। शक्ति कपूर ने कहा कि वह इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने बताया कि वह भी इस फिल्म की हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शक्ति कपूर ने कहा, ''मैं डेविड के लिए कोई भी रोल कर लेता और हमेशा करूंगा। वरुण धवन मेरी गोद में बड़ा हुआ है। वह एक इंटेंस एक्टर हैं अगर आपने उनकी 'बदलापुर' और 'अक्टूबर' जैसी फिल्मों देखी होंगी।''

# सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में याहू पर सबसे ज्यादा किया गया सर्च

**नई दिल्ली।** दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 में याहू पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में उनका दूसरा नंबर है जबकि रिया चक्रवर्ती ने इस लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। याहू की इस लिस्ट में कई राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं, अमिताभ बच्चन (9), कंगना रनौत (10), दीपिका पादुकोण (12), सनी लियोनी (14), प्रियंका चोपड़ा (15) और कैटरीना कैफ 16वें नंबर पर हैं। सुशांत मेल सेलेब्स की लिस्ट में भी टॉप पर हैं। उनके बाद अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, इरफान खान, ऋषि कपूर, एसपी बालासुब्रमण्यम, सोनू सूद, अनुराग कश्यप और अल्लू अर्जुन जैसे सितारों के नाम हैं। वहीं, रिया चक्रवर्ती फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सूची में रिया के बाद कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, सनी, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, नेहा कक्कड़, कनिका कपूर, करीना कपूर और सारा अली खान के नाम हैं।

# आखिरी वनडे मैच जीतकर भारत ने बचाई लाज

## सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम

**नई दिल्ली।** केनबरा के ओवल में बुधवार को खेले गए आखिरी वनडे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराकर तीन वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से खत्म किया। हालांकि लगातार दो वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। तीसरे वनडे मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 303 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन मेजबान टीम तीन गेंद बाकी रहते 289 रनों पर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान आरोन फिंच ने सबसे अधिक 75 रनों की पारी खेली। इसके अतिरिक्त ग्लेन मैक्सवेल ने 59, एलेक्स केरी ने 38 और एश्टन एगर ने 28 रन बनाए। भारत के लिए शारदुल ठाकुर सबसे किफायती गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और टी नटराजन ने दो-दो एवं कुलदीप यादव व रविंद्र जडेजा ने एक-एक विकेट चटकाए।

इससे पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सबसे अधिक 76 गेंदों में नाबाद 92 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौका और एक छक्का भी जड़ा। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 78 गेंदों में 63 और रविंद्र जडेजा ने 50 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 66 रनों का अहम योगदान दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्टन एगर ने 10 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि एडम जाम्पा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 1 और सीन एबट ने इतने ही ओवर में 84 एवं जोश हेजलवुड ने 66 रन देकर क्रमशः एक-एक विकेट हासिल किए।

## सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

**नई दिल्ली।** भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा वनडे सीरीज के तीसरे मैच में विराट कोहली 12.1 ओवर में सीन एबट की गेंद पर सिंगल लेते ही 12,000 वनडे रनों का आंकड़ा छू लिया। विराट ने वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है।

## बार्कले की जगह न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन बने स्नेडन

**एजेंसी,वेलिंगटन।** पूर्व खिलाड़ी माइकल स्नीडन न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए चेयरमैन चुने गए हैं, जो ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बार्कले हाल ही में इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन बने हैं, जिसकी वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। स्नीडन 1990 से 1992 , 1999 से 2001 और 2013 से अब तक न्यूजीलैंड क्रिकेट के पूर्व मुख्य कार्यकारी और बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। वह 1980 से 1990 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 25 टेस्ट और 93 वनडे इंटरनैशनल मैच खेल चुके हैं।


### तहसीलदार तहसील-आरंग
**मामले की श्रेणी - राजस्व**

**संदर्भ-** जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के **आरंग** नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305823102020007

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी मेसर्स अथर्व इनवेस्टमेंट द्वारा पार्टनर अखिल द्वारकानी पिता/पति प्रहलाद दास द्वारकानी पता-श्याम बाजार आरंग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 15001/1 (0.0140) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील **तहसीलदार**
**तहसील-आरंग**

### तहसीलदार तहसील-आरंग
**मामले की श्रेणी - राजस्व**

**संदर्भ-** जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के **आरंग** नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305823102020018

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी मेसर्स अथर्व इनवेस्टमेंट द्वारा पार्टनर अखिल द्वारकानी पिता/पति प्रहलाद दास द्वारकानी पता-श्याम बाजार आरंग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 15001/1 (0.0202) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील **तहसीलदार**
**तहसील-आरंग**

### तहसीलदार तहसील-आरंग
**मामले की श्रेणी - राजस्व**

**संदर्भ-** जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के **आरंग** नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305820102020049

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी मेसर्स प्रोग्रेसिव डेव्हलपर्स द्वारा राजेश गोंदुड़े पिता/ पति लोकनाथ गोंदुड़े पता-तेलीबांधा रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 15002/1 (0.0193) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील **तहसीलदार**
**तहसील-आरंग**

### तहसीलदार तहसील-आरंग
**मामले की श्रेणी - राजस्व**

**संदर्भ-** जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के **आरंग** नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305814102020026

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी नाबा. निखिल पिता/पति स्व. राजकुमार पता-ग्राम अकोली खुर्द तह. आरंग, नंदलाल पिता/पति जीवधन टोंडरे पता-श्याम अकोली खुर्द तह. आरंग, गीता बाई पिता/पति जीवधन टोंडरे पता-ग्राम देवदा तह. आरंग, नीराबाई नाबा. की ओर से खुद व वली मां पिता/पति स्व. राजकुमार पता-ग्राम अकोलीखुर्द तह. आरंग, चैतीबाई पिता/पति जीवधन टोंडरे पता-ग्राम अकोलीखुर्द तह. आरंग, ललिताबाई पिता/पति जीवधन टोंडरे पता- ग्राम सकरी तह. आरंग, दीपक कुमार पिता/पति स्व. राजकुमार पता-ग्राम अकोली खुर्द तह. आरंग, नंदनीबाई पिता/पति जीवधन टोंडरे पता-ग्राम अकोलीखुर्द तह.आरंग, शकुनबाई पिता/पति जीवधान टोंडरे पता-ग्राम भानसोज तह. आरंग, हितेश पिता/पति स्व. राजकुमार पता-ग्राम अकोलीखुर्द तह. आरंग, शांतिबाई पिता/पति जीवधन टोंडरे पता-ग्राम खरोरा के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 4288/3/क(0.6000) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील **तहसीलदार**
**तहसील-आरंग**

### न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
**ईश्तहार**

रा.प्र.क्र. ई-पंजी. 202011082200037
अ-6/2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर नजूल कवर्धा स्थित शीट क्रमांक-16 सी, भूखण्ड क्रमांक-186/2 क्षेत्रफल 135.75 वर्गमीटर भूखण्ड नजूल संधारण खसरा वर्ष 2020-21 में घनश्याम, श्याम, अश्वनी आ. धनेशराम साकिन कवर्धा के नाम पर दर्ज है। इस भूखण्ड को आवेदक तिमिर चन्द्र डाहिरे आ. रामखिलावन के द्वारा घनश्याम एवं 02 अन्य पिता धनेशराम से पंजीकृत बयनामा दिनांक 05.09.2020 से क्रय कर भूखण्ड के स्वयं के नाम पर नामांतरण करवाने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसकी सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को नियत की गई है।

अतएव इस नामांतरण के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर अथवा आपत्ति पेश करना हो वे इस न्यायालय में दिनांक 17/12/2020 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर मान्य नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 17/11/2020 को इस न्यायालय के पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक 17/11/2020
पेशी दिनांक 17/12/2020

सील **नजूल जांच अधिकारी**
**कबीरधाम**

### कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

**(त्रुटि सुधार)**

नामांतरण प्र.क्र. 117/2020-21
वार्ड का नाम- रानी दुर्गावती-50

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती-50 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ दुकान 03 चर्च के सामने जो कि निगम अभिलेख में 1. श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, 2. कुलदीपक गुप्ता पिता जीवराखन गुप्ता 3. सुनीता ईसरानी w/o राजकुमार ईसरानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री संजय रामानी s/o हरेश रामानी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
**जोन क्र.-10**
**नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)**

### न्यायालय नायाब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र. अ-6/वर्ष 2020.21

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पवन कुमार बंजारे आ. पति चुपुराम बंजारे निवासी सुभाष चौक डुंडेरा के द्वारा ग्राम डुंडेरा प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. अंडा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा न. 373 रकबा 0.010 हे. भूमि विक्रेता खूबचंद एरोमनाथ पिता श्री चंद्रिका प्रसाद बा. मरोदा जिला भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23/11/2020 को क्रय किया गया है।उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी सज्जन अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/12/20 तक स्वम् या अथवा अपने माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में अप्पत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जाएगा।

आज दिनांक 24/11/20 को यह उदघोषणा मेरे स्वम् के हस्ताक्षर एवम न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील **नायाब तहसील**
**दुर्ग (छ.ग.)**

### केनरा बैंक Canara Bank
**शुद्धिपत्र - विक्रय सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवप्रदेश अखबार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 28.11.2020 में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना में संपत्ति क्र. 03 में (ईको केयर) की संपत्ति का क्षेत्रफल भूलवश 1404 वर्गफिट प्रकाशित हो गया था जिसका सही क्षेत्रफल 10000 वर्गफिट के रूप में पढ़ा जाए। हस्ताक्षरित
प्राधिकृत अधिकारी/केनरा बैंक

### एक्सिस बैंक लिमिटेड
AXIS BANK
संपत्ति बिक्री केंद्र, दूसरा माला, चावला चैंबर्स, पंडरी, रायपुर- 492004

**[ नियम 8 ( 1 ) ]**
**कब्जा नोटिस**
**( अचल संपत्ति )**

**चूंकि :**
अधोहस्ताक्षकरकर्ता ने **एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत व धारा 13(12), जिसमें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के नियम 3 का भाव निहित है के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 24-1-2018 को कर्जदार अर्थात **श्रीमती भोज सिन्हासार** तथा **श्री राकेश चंद्रा सिन्हासार** को डिमांड नोटिस जारी कर उन्हें नोटिस में उल्लेखित 12,14,384 रुपए (बारह लाख चौदह हजार तीन सौ चौरासी रुपए) की राशि का नोटिस प्राप्त होन के 60 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था, जो कि लोन अकाउंट नंबर PHR013901045164 के अंतर्गत 20-1-2018 की स्थिति में एग्रीमेंट रद्द हो जाने के कारण देय थी।
लेकिन कर्जदारों और गारंटरों के द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण अब कर्जदारों/गारंटरों व जनता को आम तौर पर नोटिस दिया जा रहा है कि नीचे उल्लेखित संपत्ति को अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), जिसमें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 का भाव निहित है, से उसे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे उल्लेखित संपत्ति का भौतिक अधिकार **नवंबर 2020 की 27 तारीख** को अपने पास ले लिया है।
कर्जदारों को खास व जनता को आमतौर पर आगाह किया जाता है कि निम्न संपत्ति संबंधी कोई डील न करें और प्रापर्टी से जुड़ी कोई भी डील एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा एग्रीमेंट खत्म होने के कारण लोन अकाउंट नंबर PHR013901045164 के अंतर्गत 20-1-2018 की स्थिति में वसूल की जाने वाली 12,14,384 (बारह लाख चौदह हजार तीन सौ चौरासी रुपए) की राशि व इस पर आगे लगे ब्याज से जुड़ा विषय होगा।
संरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय को लेकर कर्जदारों का ध्यान सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**शेड्यूल**
**संरक्षित चल संपत्ति**

54 वर्ग मीटर में फैला प्लाट नंबर 32, ब्लॉक नंबर 29, सेक्टर 01, विश्व बैंक आवास योजना, भिलाई-3 भिलाई नगर निगम सीमा के भीतर-चरोदा, वार्ड नंबर 6, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़, साथ में इस पर बनी आवासीय इमारतें।
**भूमि की सीमाएं :** उत्तर से- ब्लॉक 33, दक्षिण से-ब्लॉक 28, प्लाट नंबर 05, पूर्व से- प्लाट नंबर 27, पश्चिम से- सड़क

**दिनांक : 27-11-2020** **हस्ताक्षरित- रंजीत कुमार झा**
**स्थानः रायपुर** **एक्सिस बैंक लिमिटेड**

### Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4048788, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

**PUBLIC NOTICE**
**Extension of MYT Regulations, 2015 for FY 2021-22**

Order of the Commission on the subject matter is reproduced below:
"The present MYT Regulation, 2015 is valid till **FY 2020-21.** Although we had initiated the process of notifying the new MYT Regulation, to be made effective, with effect from **01/04/2021,** it appears that because of the intervening Covid-19 pandemic related lockdown situation the same could not be completed in time. It would be prudent to extent the validity of the extant MYT Regulation, 2015, for the next year i.e. **FY 2021-22.** Accordingly, the Generating Company(s) and Licensee(s) be informed to file the tariff petition for **FY 2021-22** before **31/12/2020** by adopting of principles of MYT Regulations, **2015"**

S.- 27135/1 **SECRETARY**

### कार्यालय नगर पंचायत पखांजूर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
क्रमांक/1306/न.प्र./लो.नि.वि./2020-21 पखांजूर, दिनांक 02/12/2020

**// मैनुअल पद्धति द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //**

नगर पंचायत पखांजूर क्षेत्रांतर्गत निर्माण किए जाने हेतु केवल स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक के माध्यम से मैनुअल निविदा दिनांक 02.11.2020 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय- 14/12/2020 को 5.00 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय - 17/12/2020 को 5.00 बजे तक
3. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय - 21/12/2020 को 3.00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय - 21/12/2020 को सायं 4.00 बजे से

| क्रं. | कार्य का विवरण | मद का विवरण | अनुमानित लागत (लाख में) | अमानत राशि | निविदा प्रपत्र शुल्क | समयावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 नग कम्पोस्ट पीट निर्माण कार्य CGPWD Building SOR w.e.f 01/01/2015 | 14वें वित्त आयोग | 3.08 | 3500.00 | 750.00 | 01 माह |
| 2. | सत्यानन्द पल्ली में नाली मरम्मत कार्य CGPWD Building SOR w.e.f 01/01/2015 | निकाय एवं अन्य मद | 1.67 | 2000.00 | 300.00 | 01 माह |
| 3 | 02 नग चबूतरा निर्माण कार्य। CGPWD Building SOR w.e.f 01/01/2015 | पार्षद निधि | 1.90 | 2000.00 | 300.00 | 01 माह |

उपरोक्त कार्य हेतु निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन शुल्क रु. 100/- प्रति कार्य एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट, आवेदन करने की तिथि तक बना हुआ ही स्वीकार किया जावेगा।

**मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
**नगर पंचायत पखांजूर**
**जिला- उ.ब. कांकेर (छ.ग.)**

### कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, बेमेतरा
**निविदा आमंत्रण सूचना**

क्रमांक-5937/NIT-44/2020-2021/वलेलि दिनांक 28/11/2020
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 09/12/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 15/12/2020 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 16/12/2020 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
**मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत निम्नांकित कार्यों की प्रथम आमंत्रण में निविदा आमंत्रित है।**

| एनआईटी क्र. निविदा क्र. | कार्य का नाम NoOfCalls | कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु.में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 44 T0347 | अहिवारा बेरला बेमेतरा मार्ग से बेरला बस्ती पोर्सन कि.मी.1/2 में पक्की नाली निर्माण | 19.71 15000.00 |
| 44 T0348 | अहिवारा बेरला बेमेतरा मार्ग से बेरला बस्ती कि.मी. 1/4 में पक्की नाली निर्माण | 19.85 15000.00 |
| 44 T0349 | देवरी लखना मार्ग से पाहंदा आंगनबाड़ी केन्द्र सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.71 15000.00 |
| 44 T0350 | कोबिया बेरला मार्ग से खर्रा आंगनबाड़ी केन्द्र सी.सी. पहुंच मार्ग | 20.00 15000.00 |
| 44 T0351 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग खंगारपाट | 19.97 15000.00 |
| 44 T0352 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग टेमरी | 19.97 15000.00 |
| 44 T0353 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग उघरा | 19.96 15000.00 |
| 44 T0354 | मुख्य मार्ग से आंगनबाड़ी एवं स्कूल सी.सी. पहुंच मार्ग कुम्ही मार्ग | 19.97 15000.00 |
| 44 T0355 | मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत मुख्य मार्ग से लावातरा (ढाबा) आंगनबाड़ी सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.98 15000.00 |
| 44 T0356 | कुम्ही मार्ग से कुम्ही (मि.) आंगनबाड़ी एवं स्कूल में सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.98 15000.00 |
| 44 T0357 | खिलौरा धान संग्रहण केन्द्र सी.सी. पहुंच मार्ग रजकुडी | 19.98 15000.00 |
| 44 T0358 | बेरला उरला बेमेतरा मार्ग से भिंभौरी बस्ती पोर्सन में पक्की नाली निर्माण | 19.71 15000.00 |
| 44 T0359 | बेरला उरला बेमेतरा मार्ग से पिरदा बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.99 15000.00 |
| 44 T0360 | बोररिया बहेरा (कारेसरा) मार्ग से प्रा.शा. पूर्व माध्य. एवं हाईस्कूल सी.सी. पहुंच मार्ग बहेरा कारेसरा | 19.98 15000.00 |
| 44 T0361 | मजगांव संडी मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग सल्धा | 19.97 15000.00 |
| 44 T0362 | मुख्य मार्ग से सामुदायिक भवन सी.सी. पहुंच मार्ग कुम्हीगुडा | 19.99 15000.00 |
| 44 T0363 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग केशडबरी | 19.96 15000.00 |
| 44 T0364 | मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम सी.सी. पहुंच मार्ग कंतेली | 19.97 15000.00 |
| 44 T0365 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग तेन्दुभाठा | 19.99 15000.00 |
| 44 T0366 | रांका मार्ग से आंदू आंगनबाड़ी सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.98 15000.00 |
| 44 T0367 | जेवरा अर्जुनी मुख्य मार्ग से आंगनबाड़ी केन्द्र बहिंगा सी.सी. पहुंच मार्ग | 19.99 15000.00 |
| 44 T0368 | मटका बीजाभाठ मुख्य मार्ग से सामुदायिक भवन सी.सी. पहुंच मार्ग बीजाभाठ | 19.98 15000.00 |
| 44 T0369 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग हथपान | 19.97 15000.00 |
| 44 T0370 | मुख्य मार्ग से बस्ती सी.सी. पहुंच मार्ग करामाल | 19.95 15000.00 |
| 44 T0371 | मुख्य मार्ग से बस्ती से आंगनबाड़ी सी.सी. पहुंच मार्ग भिलौरी | 19.96 15000.00 |

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोक संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

**कार्यपालन अभियंता**
**जी-85306/2** **लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, बेमेतरा**

## बंगोली में धान खरीदी शुरु

**खरोरा।** प्रदेश शासन के आदेशानुसार 1 दिसंबर से राज्य के सभी धान खरीदी केंद्रो मे समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन किया गया। धान खरीदी केन्द्र बंगोली पंजीयन क्रमॉक 635 मे कुल तीन गॉव के कृषकें अपनी धान बेचते हैं। धान खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रदेश शासन द्वारा धान खरीदी की जायेगी। शासन के समर्थन मूल्य पर धान के दर व किस्म के आधार पर तय किया गया है उसी आधार पर धान खरीदा गया। ग्राम पुरोहित पंडित बिष्णु प्रसाद शर्मा के मंत्रोचार कर धान खरीदी के पहले तराजू व बाट की पूजा कर औपचारिकताएं पूरी कर धान खरीदी की गई। धान खरीदी सर्वप्रथम कृषक चंदूलाल मारखंडे बंगोली की धान खरीदा गया। धान विक्रय बंगोली,कुर्रा व बरौण्डा के किसानों ने की। राज्य सरकार के अनुसार मोटा धान प्रतिक्विंटल-1868 रुपये,पतला ग्रेड ए-1888 रुपये,सरना 1868रुपये की राशि तय की गई है 7इसके तहत् धान खरीदी के प्रथम दिन धान खरीदा गया मोटा-236 बोरी-94.40 क्विंटल,सरना 975 बोरी -390 क्विंटल,कुल 1211 बोरी धान खरीदे गये , राशि 904859=20 लाख रुपये व लिंकिंग 39354, कुल नगद भुगतान 511311=20 खरीदी हुई ।

**ये रहे उपस्थित:** दाऊ अनिल नायक -अध्यक्ष ,चंद्राहस नायक,विनोद वर्मा पूर्व अध्यक्ष,कुबेर सिंह हनुमंता,नारायण प्रसाद वर्मा,सुरेंद्र वर्मा,दीपक वर्मा,ईश्वरी धीवर,थनवार साहू,नंदलू खुटे,तोरण कोसले,धर्मेंद्र नायक,बसंत वर्मा,मनहरण वर्मा,रामअवतार देवॉगन,राजू धीवर,रणवूर धीवर,राजकुमार निर्मलकर,दुकलहा निर्मलकर के अलावा मंडी कर्मचारी मे मुकेश कुमार वर्मा-व्यवस्थापक,चैनसिंह डहरिया,गोपाल धीवर,किशन निर्मलकर सहित ग्राम के अन्य किसानों की भारी भीड़ रही।

## बिना विज्ञापन जारी कर दिया गया ऑपरेटर की नियुक्ति, कलेक्टर से हुई शिकायत

**भाटापारा।** प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था मर्यादित बैंक अर्जुनी के अन्तर्गत नया उपार्जन केन्द्र गोढ़ी (टी) में नियमों को ताक पर रखकर बिना विज्ञापन जारी किये व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कम्प्युटर ऑपरेटर की नियुक्ति कर दिया गया। ऑपरेटर की नियुक्ति होने के बारे में जानकारी मिलने पर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया तो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था में रखे जाने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया गया। उक्त पद की नियुक्ति के लिए कुछ अभ्याथिंयों ने शाखा में आवेदन देकर पावती मांगी गई तो नामंजुरी बताकर अभ्यर्थियों से बदसलूकी से व्यवहार किया गया। फर्जी नियुक्ति किये जाने को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थी बसंती वर्मा ग्राम नवागांव, योगिता वर्मा

नवागांव, गीता वर्मा नवागांव, कुलेश्वर वर्मा टोनाटार, कोमलकांत यादव टोनाटार, कुलदीप वर्मा नवागांव, जीवन वर्मा नवागांव, सुनील ध्रुव ग्राम टोपा व ग्राम टोपा पंचायत के उपसरपंच के द्वारा लिखित में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कम्प्युटर ऑपरेटर निष्पक्ष नियुक्ति की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया।

इस संबंध में समिति प्रबंधक ने कहा कि इस सत्र में धान खरीदी को देखते हुए 3 माह के लिए अभी फ़िलहाल वैकल्पिक तौर पर रखा गया है अभ्यर्थियों का आवेदन मेरे पास जमा है जिस पर गाइडलाइन जारी होते ही विधिवत विज्ञापन जारी कर भर्ती किया जाएगा द्य वही क्षेत्रीय जनपद सदस्य चन्द्र प्रकाश साहू का कहना हैं कि पहले क्षेत्र के किसानों को छला अब पात्र युवा बेरोज़गारों को ठगा जा रहा हैं जो सही नहीं है... इस मामले पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।

## प्रदेश के मुख्यमंत्री बहा रहे विकास की गंगा

**पाटन** । प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सहित समूचे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहा रहे है उसी कड़ी में आज ग्राम बठेना में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत सी.सी .रोड. निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह मुख्यमंत्री जी के ओ.एस.डी. आशीष वर्मा जी, अशोक साहू जी उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया ।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक साहू ने भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश मुखिया भूपेश बघेल पाटन विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश में विकास की नयी मिसाल बना रहे है गाँव गाँव मे विकास की गंगा बह रही है समूचे गांव में सीसी रोड सामुदायिक भवन एवं विभिन्न विकास योजना का सौगात दी गई है एक गाँव से दूसरे गांव की दूरी तय करने के लिए सरल सुगम रास्ते के लिए मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में विशेष ध्यान दिया।

जिस क्रम में आज ग्राम पंचायत बठेना में मुख्यमंत्री सड़क योजना द्वारा इसका भूमिपूजन

किया गया । इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष देवेंद्र चन्द्रवंशी तरुण बिजौर विधायक प्रतिनिधि,सुरेश निषाद जनपद सदस्य पाटन, साधना वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत बठेना, बलकरण वर्मा उपसरपंच बठेना परदेशी ठाकुर मोहन चंद्रवंशी लोकेन्द्र सुरेश साहू टेकराम वर्मा दुष्यंत वर्मा कल्याणी साहू सीता निषाद नीरज सोनी, आदित्य तिवारी, निशांत त्रिपाठी, गौतम कौशिक और समस्त ग्रामवासी बठेना के ग्रामवासी द्वारा किया गया

## धरसींवा रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन

**खरोरा।** जिला रायपुर जनपद पंचायत धरसींवा के ग्राम रोजगार सहायकों ने अपनी नियमितिकरण सहित तीन सूत्रीय मॉग आधारित ज्ञापन पत्र धरसींवा तहसीलदार को सौंपा गया।

ग्राम रोजगार सहायक संघ रायपुर जिलाध्यक्ष-शेखर ने बताया कि नियमितिकरण सहित अन्य तीन मॉग पर आधारित एक दिवसीय धरना,प्रदर्शन व रैली का आयोजन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपने वालों मे धरसींवा ब्लॉक अध्यक्ष-गैंदलाल वर्मा,उपाध्यक्ष-ओमप्रकाश साहू,सचिव-अश्वनी साहू सहित अन्य ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे 7साथ ही आगामी धरना,प्रदर्शन व रैली जिला व प्रात स्तरीय पर दिनॉक 7 दिसंबर व 15 दिसंबर को किया जायेगा।

## प्रथम पृष्ठ का शेष...

**पहले संगठन फिर...**

भी एक बैठक होगी। इसमें नाम फाइनल कर सूची हाईकमान को भेज दी जाएगी।

**सीएम भूपेश ने पीएम..**

से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है।

**दो छात्रों के...**

उक्त छात्रों में से कोई कटऑफ के बाद प्रवेश के लिए पात्र पाया जाता है तो उन्हें भी निजी कॉलेजों की पेमेंट सीट पर दाखिला दिलाया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

**राज्य में नहीं...**

द्वारा अपने स्तर पर पंजीयन कराने का प्रयास किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय काउंसलिंग पूर्व इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया परंतु ये छात्र चयन से वंचित रह गए। राज्य में पंजीयन हेतु द्वितीय अवसर नहीं होने से उनका पंजीयन नहीं कराया जा सका।

**मेडिकल कॉलेज के...**

बड़ा हादसा टल गया। पुलिस जवान ने तत्परता दिखाते हुए फायर उपकरण से आग पर काबू पाया। इसके बाद लीक हो रही गैस का सिस्टम बंद किया।

**ब्रिटेन में मिलेगी..**

बताया था कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय नियामकों के समक्ष वैक्सीन के सशर्त इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। फाइजर की यह वैक्सीन परीक्षण के दौरान 94 प्रतिशत सफल मानी गयी है। इस वैक्सीन की दो खुराक लेनी होती है।

**भाजपा सांसद की कोरोना...**

निधन हुआ। कोरोना संक्रमण होने से उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई थी। अभय भारद्वाज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख व्यक्त किया है। सांसद अभ्य की रिपोर्ट 31 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव आई थी। उनका राजकोट के अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए चेन्नई ले जाया गया था। भारद्वाज के परिजनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उनका इलाज चल रहा है।

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका निधी अग्रवाल पिता/ पति प्रशांत कुमार अग्रवाल निवासी विवेकानंद नगर राजनांदगांव मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 421/11 रकबा 0.018 हे./ 2000 वर्गफीट भूमि को दानकर्ता/ आम मुख्तयार शकुंतला पिता ललित कुमार अग्रवाल से दिनांक 04.11.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 16.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शारदा सिसोदिया पिता/ पति रमेश सिंह सिसोदिया निवासी मठपारा दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 330/4 रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार किरण सिसोदिया पिता/ पति प्रकाश सिंह सिसोदिया से दिनांक 19.11.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 09.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शंकरलाल पिता स्व. बहादुर निवासी जवाहर नगर दुर्ग मौजा प.ह.नं. रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 58/1, 59/1 रकबा 3.606, 0.264 रकबा कुल 3.870 हे. भूमि शामिलात खाता में दर्ज है। आवेदकगण के द्वारा आपसी बटवारा हेतु आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06 अ/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री परसराम पिता श्री राधेश्याम ढीमर निवासी बोरई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम बोरई प.ह.न 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1022/2 रकबा 0.75 हे. भूमि को वसीयतनामा के आधार पर वसीयतकर्ता अंजोरी पिता बली के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 14.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लक्ष्मीकांत इन्दुकर पिता मलहार राव इन्दुकर निवासी ग्राम बनियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 504/19 रकबा 0.014 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार मलहार राव इन्दुकर की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रमलाबाई सिन्हा पति मोतीलाल सिन्हा निवासी ग्राम ढीमरपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/19 रकबा 880 वर्गफीट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल अन्य 01 पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 28.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700176

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका फारिना कुरैशी पिता सैफुद्दीन कुरैशी निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/18 रकबा 619.5 वर्गफीट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल अन्य 03 पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम तमेरपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका गिरिजा देवी पति जगमोहन दास बंजारे निवासी ग्राम सेक्टर 3 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 161/140 शा. 162/123 रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती कीर्ति देवांगन पति अमित कुमार देवांगन निवासी ग्राम विवेकानंद नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सतीष कुमार यादव पिता मनोहर यादव निवासी ग्राम टेकापार तहसील व जिला बालोद के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 161/138 शा. 162/121 रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती कीर्ति देवांगन पति अमित कुमार देवांगन निवासी ग्राम विवेकानंद नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा-पत्र

| रा.प्र.क्र. | पक्षकार का नाम | ऑनलाईन |
|---|---|---|
| ई-कोर्ट | श्रीमती सरिता देवी साव | रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400520 |

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सरिता देवी साव पति श्री अशोक कुमार साव निवासी सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

**अनुसूची**

| ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है | खसरा नंबर | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|
| ग्राम कुरुद प.ह.न. 19अ तह.व जिला दुर्ग | 275/13 | 0.020 हें 1950 वर्गफीट | आवासीय |

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा-पत्र

| रा.प्र.क्र. | पक्षकार का नाम | ऑनलाईन |
|---|---|---|
| ई-कोर्ट | श्री राहुल सिंह | रजिस्ट्रेशन नं. 202011100400512 |

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राहुल सिंह आ. श्री विमल सिंह निवासी नंदनी नगर अहिवारा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

**अनुसूची**

| ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है | खसरा नंबर | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|
| ग्राम कुरुद प.ह.न. 50 तह. व जिला दुर्ग | 1158/28 | 0.011 हें 1200 वर्गफीट | आवासीय |

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400026

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती राजेश्वरी कौशिक पति श्री निर्मल दास कौशिक निवासी उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 443/3 रकबा 0.021 हें/ 2250 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400022

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कुसुम सोने पति हृदय लाल सोनी निवासी खुर्सीपार भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 835/5 रकबा 0.0120 हें/ 1309 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400035

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जसवीर कौर पति नरेन्द्र सिंह ढिल्लन निवासी नेहरुनगर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. 09 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1169/1 रकबा 0.06 हें/ 6525 वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400027

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जसवीर कौर पति नरेन्द्र सिंह ढिल्लन निवासी नेहरुनगर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. 09 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1169/2 रकबा 0.06 हें/ 6525 वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400028

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नरेन्द्रर सिंह अन्य 01 आ. स्व. साधू सिंह निवासी नेहरुनगर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1183/8 रकबा 0.06 हें/ 6448 वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400030

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कल्पना रेवतकर पति अविनाश रेवतकर निवासी पोलसायपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 84/20 रकबा 0.028 हें/ 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202012100400032

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती एम. सुशीला पति एम. गोपीकृष्ण निवासी विश्वकर्मा चौक दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 466/49 रकबा 0.011 हें/ 1233 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202011100400478

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती दुलिया पति श्री छगनलाल गंगबोईर निवासी सेक्टर 04 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 240/61 रकबा 0.015 हें/ 1620 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202011100400477

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री छगनलाल गंगबोईर आ. मनराखन लाल गंगबोईर निवासी सेक्टर 05 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 346/6 रकबा 0.020 हें/ 1640 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
#### उद्घोषणा

पंजी. 202011100400292

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती राजेश्वरी यादव पति श्री पन्नालाल यादव निवासी कसारीडीह द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 245/21 रकबा 0.012 हें/ 1296 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

# बंधक बनाकर फिरौती की मांग करने वाले तीन आरोपी पं. बंगाल से गिरफ्तार

**भाटापारा।** बिलाईगढ़ के युवक को पश्चिम बंगाल में बन्धक बनाकर फिरोती की मांग करने वाले 3 आरोपियों को बलौदा बाजार पुलिस ने पकड़कर उनके कब्जे से अपहृत युव्स्क को सकुशल छुड़वा कर तीनो आरोपियों के कब्जे से फिरोती की ली गई रकम सहित मोबाईल और अन्य सामान जब्त किया है।

प्रभारी एस डी ओ पुलिस सिद्धार्थ बघेल ने बिलाईगढ़ थाना में उक्त घटना का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया की प्रार्थीया श्रीमती कौशिल्या बाई पति शिवनारायण राकेश उम्र 36 वर्ष निवासी बिलाईगढ़ द्वारा लिखित आवेदन पेश कर अपने पति शिवनारायण राकेश को आरोपियों द्वारा अपहरण कर पं. बंगाल के ग्राम घाटल के पास गांव में बंधक बनाकर, पैसे की मांग करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आवेदन दिया था,जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।इस घटना को जिला पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए फ़ेरन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, एवं प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ़ सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में स्पेशल टीम गठित कर अपहृतशुदा पीढ़ित की सकुशल बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पश्चिम बंगाल रवाना किया गया। इस स्पेशल टीम में एस आई रोशन सिंह राजपूत,यसवंत सिंह, एएसआई उत्तर साहू,प्रधान आरक्षक धनंजय यादव,आरक्षक भारत भूषण पठारी,धनेश्वर वर्मा को शामिल किया गया।

स्पेशल टीम ने आरोपियों द्वारा पीड़ित से संपर्क किये गये मोबाईल नंबर का डिटेल खंगाला गया एवं बंधकशुदा पीड़ित की पृष्ठभूमि का रिकार्ड भी खंगाला गया। परिजनों से पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार संदेही आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस टीम द्वारा पश्चिम बंगाल पश्चिम मेदीनीपुर जिला के दासपुर थाना क्षेत्रांतर्गत संदेही आरोपियों के द्वारा बंधक बनाकर रखे संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया। बलौदाबाजार पुलिस टीम द्वारा काफी सुझबुझ एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए मुख्य आरोपी मलय कुमार बाग उर्फ राहुल बाग के निवास स्थान का पता लगाकर दबिश दिया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित मिले आरोपी 01. चितरंजन बाग, 02 अरघ जाना के कब्जे से बंधक बनाकर रखे गये शिवनारायण राकेश को सकुशल एवं सुरक्षित बरामद किया गया। मौके में मिले दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी मलय कुमार बाग के मौके पर नही मिलने पर उसके छिपने के संभावित स्थानो पर अलग अलग टीम बनाकर पश्चिम मेदीनीपुर भेजकर लगातार दबिश दिया गया। कड़ी मेंहनत से मुख्य आरोपी मलय कुमार बाग पिता चितरंजन बाग को पश्चिम मेदीनीपुर में अपनी दुसरी पत्नी के निवास से रेड कार्यवाही कर पकड़ने में सफलता मिला।

गिरफ्तार आरोपियों एवं पीड़ित से पूछताछ से घटना के संबंध में जानकारी मिला की आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित शिवनारायण राकेश को पूर्व में स्टाक मार्केट में इन्वेस्ट कराये गये उनके रकम वापस प्राप्त होने में हो रही लगातार देरी के कारण अपहरण कर, बंधक बनाकर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करने की योजना बनाया गया। इस क्रम में आरोपियो द्वारा एक राय होकर पीड़ित शिवनारायण राकेश को पुनः 10 लाख रूपयें इन्वेस्टमेंट कराने का झांसा देकर फ्लाईट टिकट कराकर बहला फुसलाकर मेदीनीपुर बुलाकर बंधक बना लिया। इसके बाद लगातार परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर 25 लाख रूपये का फिरौती रकम का मांग किया गया। परिजनों के द्वारा आरोपी के खाते में 35000 रूपयें शुरूआती फिरौती रकम जमा किया था। पुलिस ने तीनो आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में लेकर उनके खिलाफ धारा 342,386,387 भादवि के तहत कार्यवाही कर रही है।

## न्यूज गैलरी

### प्लाटून कमांडर से कम्पनी कमांडर बने जमुना समाज को कर रहे है गौरान्वित

**गंडई पंडरिया।** वनांचल क्षेत्र साल्हेवरा का होनहार धोबी रजक समाज के युवक जमुना रजक का भर्ती वर्ष 2007 में अम्बिकापुर से ज्वायनिंग छत्तीसगढ़ सशत्र बल 12 बटालियन में सिपाही में चयन हुवा उसके बाद एसटीएफमें चयन हुवा 2010 में लाईन कमांडर में चयन हुवा इस वर्ष पुलिस मुख्यालय रायपुर से 13 नवम्बर 2020 को पदोन्नति 9 बटालियन दंतेवाड़ा से एसटीएफबघेरा दुर्ग पदस्त किये गए है। आप को बता दे कि जमुना रजक साल्हेवारा निवासी गोविंद रजक के छोटे पुत्र है और छुईखदान ब्लाक कॉग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहित रजक के छोटे भाई है। जमुना रजक को उनके इस पदोन्नति पर समाज के युवा प्रवक्ता रवि रजक, संतोष रजक, चेतन रजक, श्रवण रजक, अनिल, बबलू रजक, रजक, संजय रजक, रंजीत रजक, निप्पू रजक, डिलेश्वर रजक, बंटी बिट्टू रजक, वशु रजक, ने समाज को गौरवित करने के लिए बधाई दिए है।

### मुख्यमंत्री शहीद वीरनारायण सिंह शहादत दिवस कार्यक्रम सोनाखान में शामिल होंगे : गणेश धुव

**भाटापारा।** छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह जी के जन्म एवं कर्मभूमि सोनाखान में सर्व आदिवासी समाज, वीरनारायण सिंह स्मृति संस्थान सोनाखान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विराट मड़ई मेला 9,एवं 10 दिसम्बर को आयोजित होगा,जिसमे शामिल होने 10 दिसम्बर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के सचिव और आदिवासी नेता गणेश सिंह धुव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की मंगलवार को मुख्यमंत्री हाउस में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत कर ,शहादत दिवस कार्यक्रम में आने का न्यौता दिया,, जिसे मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम में आने की सहमति दी! इस वर्ष कोरोनो कोविड 19 के कारण,समाज प्रमुखों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते शहादत दिवस का कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया है! गणेश धुव ने बताया की इस अवसर पर मुख्यमंत्री हाउस में प्रमुख रूप से, खाद्य एवम संस्कृति मंत्री के पुत्र छत्तीसगढ़ के युवा नेता आदित्य भगत , मध्य क्षेत्र के सदस्य छ. ग.शासन मोहित ध्रुव गणेश ध्रुव प्रदेश सचिव कांग्रेस, संस्थापक राजेन्द्र सिंह दीवान वंशज, केंद्रीय कंवर समाज अध्यक्ष कुंवर सिंह पैकरा,वीरनारायण सिंह जी स्मृति संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रताप सिंह नाग,सर्व आदिवासी समाज के जिला सचिव थानू ध्रुव, धीर सिंह नेताम, रामायण ठाकुर सोनाखान राज अध्यक्ष,जिला महामंत्री भानु ध्रुव, जिला मीडिया प्रभारी दया राम ध्रुव,सर्व आदिवासी समाज सदस्य दिलीप पैकरा, सहित समाज प्रमुख उपस्थित थे।

### विश्व एड्स दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन

**गरियाबंद।** 01 दिसम्बर को ''विश्व एड्स दिवस'' के अवसर पर एचआईव्ही/एड्स सुरक्षा एवं बचाव परामर्श शिविर एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय गरियाबंद में किया गया था। शिविर का मुख्य उद्देश्य एचआईव्ही/एड्स से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में लोगो को जागरूक करना है। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम ''वैश्विक एकजुटता - साझा जिम्मेदारी'' एवं जिले में रक्त संग्रह की सुविधा के लिए एवं जरूरतमंदो की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पात्र रक्तदाताओं द्वारा नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान बनाये रखने के महत्व को जोर दिया जाना है।

# किसानों की आंखों में आंसू और पांव में कांटा नहीं गड़ने देगी सरकार : गिरीश

नवप्रदेश संवाददाता

**भाठापारा।** प्रदेश कांग्रेस सचिव सुशील शर्मा ने बताया कि 30 नवम्बर को भाठापारा विधानसभा पहुचने पर खनिज विकाश निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन का ग्राम तरेंगा, कोदवा, कोनी, करहिबजार, केशला में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओ और ग्रमीणों ने किया,इस अवसर पर गिरीश देवांगन के करकमलों से ग्राम कोदवा में 4 लाख की लागत से बनाने वाली सी सी रोड का भूमिपूजन,ग्राम कोनी और केशला में नवीन धान खरीदी केंद्र का भूमिपूजन और उदघाटन भी किया गया।

ग्रामीणों को संबोधित करते गिरीश देवांगन ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जो कि किसान पुत्र है इसलिये किसानों के सुख और दुख को समझते है और इसी को अपना केंद्र बिन्दु मानकर प्रदेश के हित मे कार्य कर रहे है,आप लोगो की 15 वर्षो की मांग आज पूरी हुई आप सभी किसान साथियो को बहुत बहुत बधाई अब कोनी के किसानों को निपनिया धान बेचने नही जाना पड़ेगा,ग्राम कोदवा,बगबुड़वा, बंजर के किसान भी कोनी में अपने धान का विक्रय तथा केशला में ग्राम मेकरी ,रामदेय्या,लचनपुर,के किसान अपना धान का विक्रय केशला में करेंगे,इस सुंदर प्रयास लिये भाई सुशील शर्मा ने लगातार सक्रिय होकर आप सभी के साथ मिलकर मेहनत किया है,इस वर्ष 1 दिसम्बर से 2305 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्यों पर धान खरीदी की जायेगी, राज्य सरकार की किसान हितार्थ योजनाओ के कारण 2 लाख से अधिक किसानी छोड़कर दूसरा काम करने वाले पुनः अपनी किसानी की ओर लौट चुके है जिसके कारण खेती के रकबे में वृद्धि हुई है,खरीफविपणन वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख 49 हजार ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिये पंजीयन कराया है,इसे मिलाकर इस वर्ष 21 लाख 29 हजार 764 किसानों का पंजीयन हुवा है,इन किसानों दुवारा बोये धान के कारण आज धान का रकबा 27 लाख 59 हजार 385 हेक्टेयर से अधिक है प्रदेश सरकार सभी किसानों का धान खरीदी करेगी पहले छोटे किसानों का फिर सभी किसानों का,आप सभी भूपेश सरकार को मजबूत करें क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है,हमारी सरकार कभी भी किसानों के आँखों मे आँशु और पांवों में कांटा गड़ने नही देगी।

सभा को जिलाध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर,सुशील शर्मा,सुनील महेष्वरी,,श्रीमति संगीता मनोहर साहू, श्रीमति बेडेश्वरी वर्मा,भारत वर्मा,के के नायक,रमेश धृतलहरे, चंदू साहू,परमेस्वर वर्मा,केतुमान साहू,मनहरण वर्मा,रमाशंकर पटेल,अमर नाथ जगत ने भी संबोधित किया।कार्यक्रम में सभी ग्रामो के सैकड़ों ग्रामीण जन और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्तिथ थे।

### जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर आरके धवलकर ने किया धान खरीदी केन्द्र का शुभारंभ

**भटगांव।** धान खरीदी केंद्र भटगांव का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर आरके धवलकर के द्वारा उद्घाटन किया गया 1 दिसंबर को भटगांव धान खरीदी केंद्र में 792 कट्टा धान खरीदी किया गया धनगांव धान खरीदी केंद्र में केंद्र में 900 कट्टा धाम 14 टोकन काटा गया तथा नई धान खरीदी केंद्र जोरा में 495 कट्टा धान की आवक प्रथम दिन हुआ। भटगांव सोसाइटी के अंतर्गत तीन धान खरीदी केंद्र बनाया गया है जहां 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ की गई । भटगांव धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर आर के धवलकर ने तराजू बाट की पूजा अर्चना कर धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया गया। जहां भटगांव धान खरीदी केंद्र में 9 लोगों का टोकन काटा गया। जिसमें 900 खट्टा धान की खरीदी किया गया वही धनगांव धान खरीदी केंद्र में 900 कट्टा धान 14 टोकन काटा गया तो धान खरीदी केंद्र जोरा में 495 कट्टा धाम की खरीदी प्रथम दिवस 1 दिसंबर को किया गया किया गया है समर्थन मूल्य मोटा धान 1868 ऊपये प्रति क्विंटल, सरना धाम 18 68ऊपये प्रति क्विंटल तथा पतला धान 1888 रुपए है धान खरीदी केंद्र भटगांव के उद्घाटन कार्यक्रम में भटगांव सोसाइटी व्यवस्थापक- राजेश आदित्य,फ्ड प्रभारी पूरन साहु,घनश्याम साहू तथा हमालो, किसानों, कर्मचारी उपस्थित रहे। धनगांव धान खरीदी केंद्र के फंड प्रभारी-दया यादव, तो जोरा धान खरीदी केंद्र के फंड प्रभारी-गिरजाशकर साहू को बनाया गया है।

### वनांचल क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित भोथली सेवा सहकारी समिति में पूजा अर्चना कर धान खरीदी का किया गया शुभारंभ

**गंडई पंडरिया।** जिला पंचायत क्षेत्र 01 की सदस्य श्रीमति ममता राजेश पाल ने छुईखदान ब्लॉक के अंतिम छोर भोथली सेवा सहकारी समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व देवतुल्य अन्नदाता किसान भाइयों के साथ पूजा अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया । इसी दौरान भोथली सेवा सहकारी समिति कार्यालय व खाद्य गोदाम का निरक्षण कीया और भोथली सेवा सहकारी समिति प्रबंधक व अध्यक्ष को कहा की अँचल के किसान को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इस बात का ध्यान रखा जाय। धान खरीदी केंद्र में किसानों के लिए पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय की व्यवस्था बैठने व धूप से बचाने के लिए पंडाल या छाव की वैकल्पिक व्यवस्था करने को निर्देशित किया गया। इसी दौरान श्री मति पाल ने केंद्र सरकार के तीन काले कानून से अवगत कराते हुए बताया कि किसान, खेत-मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर यह एक क्रूर हमला हैं, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी न दिखा कर किसानों को जमीदारी प्रथा की घेरे में ला रही हैं जिसकी हमसभी घोर निंदा व विरोध करते हैं। साथ ही श्रीमति पाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ठेठ छत्तीसगढ़ीया माटी पुत्र किसान हितैषी बताया ।

### संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने भालुकोना नवीन सहकारी समिति धान ख़रीदी केंद्र का किया लोकार्पण

**लवन।** मंगलवार को किसानों के धान को समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई। धान खरीदी केंद्र भालुकोना में संसदीय सचिव व विधायक साहू के मुख्य आतिथ्य में खरीदी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित कर सुश्री शकुन्तला साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य है जहाँ 2500 रु में धान खरीदी कर रहे है, सरकार किसानों के हित मे कार्य कर रही किसान विरोधी बिल का छत्तीसगढ़ सरकार विरोध की है, किसानों के साथ है नवीन सहकारी समिति व धान उपार्जन केंद्र बनने के बाद धान बेचने के लिए लवन जाने के जरूरत नही पड़ेगी भालुकोना में ही सभी कार्य होगी किसानों को लाभ मिलेगा।

# कबीरधाम जिला ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस रोजगार देने में प्रदेश में अव्वल

- मनरेगा बना कोरोना काल में पंजीकृत परिवारों के लिए संकटमोचन
- महात्मा गांधी नरेगा योजना से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 9165 परिवारों को मिला 100 दिनों का रोजगार

**चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 105 करोड़ से अधिक का हुआ मजदूरी भुगतान-सीईओ जिला पंचायत**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम श्री विजय दयाराम के. ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों की मांग पर बहुत से कार्य प्रारंभ किए गए हैं। निरंतर कार्य उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण परिवारों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। यही कारण है कि कबीरधाम जिला प्रदेश में सर्वाधिक 100 दिनों का रोजगार देने में गत वर्ष से निरंतर अग्रणी बना हुआ है। जिसके एवज में इस वर्ष अभी तक 105 करोड़ से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश के बड़े ज़िलों को पीछे छोड़ते हुए कबीरधाम जिला ग्रामीण परिवरों को सर्वाधिक 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रहा है। साथ ही मजदूरी भुगतान का भी विशेष ध्यान रखते हुए समय पर किया जा रहा है। मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान उपलब्ध कराने में ज़िले का 98 प्रतिशत से अधिक है। निर्माण कार्यों में तालाब गहरीकरण कार्य, नया तालाब निर्माण कार्य, डबरी निर्माण जैसे बहुत से हितग्राही मूलक कार्य ग्रामीणों की मांग पर खोले जा रहे है

**कवर्धा।** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार ग्रामीण परिवारों को देने में कबीरधाम ज़िला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक जिले के 9165 परिवारों को 100 दिनों का काम प्रदान करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कबीरधाम जिले में इस योजना के तहत 1 लाख 81 हजार 7 सौ 83 परिवार पंजीकृत है। इन पंजीकृत परिवारों में एक लाख पचास हजार 340 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 68 लाख 68 हजार 4 सौ 45 मानव दिवस रोजगार का सृजन करते हुए ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है जो कि चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य का 81 प्रतिशत है। वर्तमान में जिले के 278 ग्राम पंचायतों में 874 कार्य ग्रामीणों की मांग पर चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पंजीकृत परिवारों को 100 दिवस रोजगार प्रदाय करने में कबीरधाम जिला लगातार पिछले वर्ष से अव्वल बना हुआ है। चालू वर्ष के शुरूआत से ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाय गए लॉकडाउन के दौरान भी पंजीकृत परिवारों को रोजगार देने में कृतिमान स्थापित किया गया है।

### सहायक ग्रेड-2 एवं 3 का स्किल टेस्ट परीक्षण आज

**कवर्धा।** कार्यालय कलेक्टर, अध्यक्ष शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार मेरिट लिस्ट के आधार पर सहायक ग्रेड-2 एवं 3 का स्किल टेस्ट परीक्षण एवं अकादमिक संवर्ग का लिखित परीक्षा की समय सारणी अनुसार आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत दो दिसंबर को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एन.आई.सी. के वेबसाईट दपबणूंतकींण्हवअण्पद में किया जाएगा। विज्ञापन के अनुसार मेरिटक्रम के 1 अनुपान 10 में 3 दिसंबर को कलेक्टर परिसर में स्थित एन.आई.सी. कक्ष में सहायक ग्रेड-2 एवं 3 का स्किल टेस्ट परीक्षण सबेरे 11 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। मेरिटक्रम के 1 अनुपात 15 में तीन दिसंबर को अकादमिक संवर्ग अंतर्गत सभी विषयों के व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक एवं कम्प्यूटर शिक्षक की लिखित परीक्षा शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा में दोपहर एक बजे से दो बजे तक लिया जाएगा। अकादमिक संवर्ग का अंकसूची के प्राप्तांकों, अनुभव, लिखित परीक्षा के वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा में चार दिसंबर को सबेरे 11 बजे से साक्षात्कार व्याख्याता अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, सामा. विज्ञान, वाणिज्य तथा शिक्षक सामा.विज्ञान का लिया जाएगा।


**न्यायालय तहसीलदार आरंग के न्यायालय में मामला क्रमांक 202010112500008**

विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2020-21
बोडरा ( प.ह.नं. 00031 )
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - हनुमान प्रसाद पांडे,
अनावेदक पक्षकार - रामफेर पांडे,

**ईश्तहार**

प.ह.नं. 31 ग्राम बोड़रा, तह. आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)

आवेदक हनुमान प्रसाद पांडे पिता श्री रामफेर पांडे निवासी-प्रोफेसर कालोनी म.नं. 138, सेक्टर-1 रोड नं. 03 रायपुर तह. व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा अधिवक्ता श्री गोपी साहू ने ग्राम बोड़रा प.ह.नं. 31 तह. आरंग स्थित भूमि खसरा नं. 556, 652/ क्रमशः रकबा 0.600, 0.410 हे. दानदाता खातेदार रामफेर पांडे पिता स्व. कमला प्रसाद पांडे के नाम अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि को पंजीकृत दान पत्र दिनांक 14/10/2020 के माध्यम से निष्पादित कर दिया है। जिसके दानग्रहिता आवेदक पंजीकृत दानपत्र के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने का मांग किया है।

अतएव उक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा आपत्ति हो तो इस न्यायालय में दिनांक 07.12.2020 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 09/11/2020 को जारी किया जाता हैं।

NARENDRA BANJARA
सील तहसीलदार
आरंग

**कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर**
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

नामांतरण प्र.क्र. 128/2020-2021
वार्ड का नाम- स्वामी आत्मानंद-39

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 39/15/141 मैदान पंथ जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती शांता तिवारी पति गोवर्ध प्रसाद तिवारी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती 1. कुसुम तिवारी 2. भास्कर तिवारी 3. पुष्पा चौबे 4. जयंती पांडेय 5. डा. रविशंकर तिवारी सभी पिता स्व. गोवर्धन प्रसाद तिवारी ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**
नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक, रायपुर के पास
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com

**ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना**

नामांतरण प्र.क्र. 58/2020-21
वार्ड का नाम- माधव राव सप्रे-69

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माधवराव सप्रे-69 स्थित मकान/ भूमि RPR869E00687 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती पूर्णिमा देवांगन s/o धनेश देवांगन के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती माया कश्यप w/o अनिल कुमार कश्यप ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-8
नगर पालिक निगम, रायपुर

**तहसीलदार तहसील-आरंग**
मामले की श्रेणी - राजस्व
संदर्भ- जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के आरंग नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305829102020017

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी मोहित कुमार पिता/पति पुनीतराम पता-संकरी, भाग्यवती पिता/पति पुनीतराम पता संकरी, चित्रागना पिता/पति पुनीतराम पता संकरी, गोदावरी पिता/पति पुनीतराम पता-संकरी के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 2421/2ख/1(0.0328) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील तहसीलदार
तहसील-आरंग

**तहसीलदार तहसील-आरंग**
मामले की श्रेणी - राजस्व
संदर्भ- जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के आरंग नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305816102020011

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी वासुदेव साहू पिता/पति बालाराम साहू पता- ग्राम भिलाई के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 15002/40 (0.0137) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील तहसीलदार
तहसील-आरंग

**तहसीलदार तहसील-आरंग**
मामले की श्रेणी - राजस्व
संदर्भ- जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के आरंग नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305812102020005

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी गोपी पिता/पति बिसाहू धीवर पता- ब्लाक कालोनी आरंग रायपुर छ.ग. के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 2083(0.1090) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील तहसीलदार
तहसील-आरंग

**तहसीलदार तहसील-आरंग**
मामले की श्रेणी - राजस्व
संदर्भ- जिला-रायपुर, तहसील आरंग प.ह.नं. 00054 ग्राम के आरंग नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक- CG6305822102020023

**ईश्तहार**

तहसील आरंग के प.ह.नं. 00054 के अंतर्गत ग्राम आरंग के भूमिस्वामी लता पिता/पति सुशील डागा पता- रायपुर, नितिन कुमार पिता/पति सुशील डागा पता- रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 2388(0.1740) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 15/12/2020 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार तहसील-आरंग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/11/2020 को जारी किया जाता है।

NARENDRA KUMAR BANJARA
सील तहसीलदार
तहसील-आरंग

**कार्यालय संपदा अधिकारी**
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवास योजनांतर्गत कटोरातालाब कालोनी रायपुर में स्थित एमआईजी भवन क्र.-10, श्री मंघाराम संतवानी पिता स्व. श्री ठाकुर दास के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 10695 दिनांक 16.08.1974 के माध्यम से भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर अपने पक्ष में दिनांक 22.02.1991 को सेलडीड पंजीकृत उपरांत आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री मंघाराम संतवानी पिता स्व. श्री ठाकुर दास, निवासी एमआईजी-10, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कटोरातालाब, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को दानग्रहिता 1. श्री किशोर संतवानी 2. श्री कमल संतवानी 3. श्री अरूण संतवानी सभी के पिता श्री मंघाराम संतवानी, सभी निवासी- एमआईजी-10, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कटोरातालाब, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दान करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के दान के संबंध में किसी भी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर

# सात साल बाद मुआवजा चेक पाकर गदगद हुए किसान

- कहा धन्यवाद रामपुकार सिंग
- आरती सिंग ने बांटी राहत राशि
- कहा-सुख-दुख में हम आपके साथ

*नवप्रदेश संवाददाता*

**पत्थलगांव/ए.।** 7 साल से जमीन डूबान में आने के बाद मुआवजे को तरस रहे ग्रामीणों के चेहरे में खुशी की लहर उस समय देखने को मिली जब जिला पंचायत सदस्य आरती सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों समेत स्थानीय अधिकारियों के हाथों बाग़ बहार गोढ़ी बी के 38 ग्रामीणों को लाख 68 हजार रूपये मुआवजा की रकम का चेक हासिल हुआ।

,2013 से मुआवजे की आस लगाए ग्रामीण आज चेक पाते ही स्थानीय विधायक रामपुकार का आभार जताते नजर आये। किसानो का कहना था की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्थानीय विधायक रामपुकार सिंग ने उनकी मुआवजा हेतु लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सतत सम्पर्क कर स्थानीय कांग्रेस नेता डीडीसी आरती सिंग,माशिम सदस्य पवन अग्रवाल एव हरगोविंद अग्रवाल को एव प्रशासनिक अधिकारियों के यहा लंबित फाईल को निकलवाकर जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम के साथ लगातार सक्रियता दिखाते हुवे उन्हें मुआवजे वितरण में सहयोग किया। सात साल के बाद आखिरकार मिले इस मुआवजे की वजह से किसानों को कोरोना संकट की इस घड़ी में बड़ी राहत मिली है और वह पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंग, कांग्रेस नेत्री डीडीसी आरती सिंग,माशिम सदस्य पवन अग्रवाल एव हरगोविंद अग्रवाल प्रशासन व राजस्व विभाग अमले के कार्य की जमकर तारीफकर रहे हैं।

### ये है मामला

९ ३ विदित हो की नहर डूबान में जमीन आने के बाद इन किसानों में कई किसान तो ऐसे भी शामिल रहे जिनके पास परिवार का गुजारा करने के लिए भी कुछ नहीं बच सका था। जिससे वह भारी चिंतित थे। अब किसान इस मुआवजे से खुश नजर आ रहे है।मुआवजा चेक वितरण के दौरान आरती सिंग ने किसानो को सम्बोधित करते हुवे कहा की कांग्रेस की भूपेश सरकार वर्तमान में वैश्विक बीमारी कोराना वायरस के दौर बावजूद आपदा व डूबान प्रभावित किसानो को राहत देने युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने बतलाया की पूर्व में क्षेत्र में हाथी के आंतक से पीड़ित किसानो की बात हो या फ़िर प्रक्रतिक आपदा ओलावर्ष्टि से प्रभावित किसानो को मुआवजा उपलब्ध कराने को बात हो हमने सक्रियता के साथ करोड़ो करोड़ो रूपये की राहत राशि क्षेत्र के किसानो को उपलब्ध करवाए है। स्थानीय विधायक जी का सदैव यही प्रयास रहा कि सभी पीड़ितों तक सही समय पर हर सम्भव राहत मिले। यही वजह है की जो कार्य भाजपा शासन काल से लंबित था आज उसका मुआवजा चेक आपके हाथो में है।

# बाजार से सात करोड़ के सोलर लाइट एक्शन प्लान में शामिल कर राशि निकालने का इंतजार!

*नवप्रदेश संवाददाता*

**देवभोग।** सरकार के अधीन संस्थाओं में सौलर लाइट लगाने के लिए अलग से क्रेडा विभाग को नोडल एजेंसी के तौर पर स्थापित किया गया है। ताकि बाजारों से महंगी दाम पर सौलर लाइट लगाने की जरूरत नहीं पढ़े और इसके लिए जिला पर क्रेडा विभाग के अधिकारी भी पदस्थ हैं। बावजूद इसके ब्लॉक के करीब 48 पंचायतों ने बाजार से महंगे दाम पर 7 करोड़ से अधिक का सौलर लाइट लगा लिया है। हालांकि अब तक सिर्फ 16 पंचायत ने हीं राशि जारी किया है। और बचे पंचायत के सरपंच सचिव 15वें वित्त मद के एक्शन प्लान में शामिल कर राशि निकालने के फ़िराक में है। जिसकी चर्चा भी अब राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही कि कितनी तगड़ी सेटिंग हुई है जो ऑटो सेंसर नान लिसन बैटरी हाइट होने के साथ कितने गैज की पाइप पर सौलर लाइट सेट करने जैसे अन्य जानकारी रखें बिना सौलर लाइट लगा लिया। कुछ पंचायत के पंच सरपंच सचिव पर आरोप लगा रहे हैं कि कम वाट सौलर लाइट लगाकर भी 16500 रुपए जारी करने कि बात कह रहे हैं। इसके अलावा किस कंपनी का क्वालिटी कितनी है। गारंटी है या नहीं इसकी जानकारी भी नहीं है । ऐसे में पंचायत के जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं।

### कम राशि के बाद भी एकमुश्त काम

क्योंकि 14 वें और 15 वें वित्त मद में कम राशि आने के बाद भी एक मुश्त किस नियम के तहत सौलर लाइट लगाया जा रहा है। जबकि के क्रेडा विभाग द्वारा सौलर लाइट लगाने के बाद 5 साल तक सर्विस देने के अलावा रिप्लेसमेंट की सुविधा भी दिया जाता है। इसके साथ सौलर लाइट में अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधा होती है। ताकि सरकार की छवि खराब ना हो बावजूद इसके पंचायत के सरपंच सचिव मनमर्जी अनुसार सरकारी पैसा का इस्तेमाल कर दिया है। जिसे लेकर सांठगांठ का भी आरोप लगाया जा रहा है। और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। ताकि शासन की राशि का सदुपयोग किया जाए यही वजह है कि स्थानीय अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन बारो बार मामला से अवगत कराया जा रहा है।

नियमों की धज्जियां उड़ाकर लगाई लाखों का सोलर लाइट, उठ रहे कई सवाल

> सोलर लाइट लगाने के लिए क्रेडा विभाग मॉडल एजेंसी होता है जिसे लेकर हम जिला पंचायत में बता चुके हैं अब किस पंचायत में क्या लगा है।
>
> **-इंदु भूषण साहू,** जिला क्रेड़ा अधिकारी
>
> लगाए गए सोलर लाइट पर 1 साल का गारंटी है और कौन से कंपनी का लगाया गया है यह सचिव जानते हैं।
>
> **--पंकज हरपाल,** सरपंच ग्राम पंचायत पूरनापानी

# लापरवाही पर खाद्य अधिकारी ने दो राशन दुकानों को किया निलंबित

- मांमला - अनुविभाग के तहत बारदाना जमा ना करने व अन्य लाफ़रवाही बरतने का

*नवप्रदेश संवाददाता*

**डोंगरगढ़।** अनुविभाग के तहत बारदाना जमा ना करने एंव सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्य कई प्रकार की लाफ़रवाही बरतने को लेकर सहायक खादय अधिकारी द्वारा विकासखंड की दो दुकानो को निलंबित कर दिया गया है । ज्ञात हो कि विगत कई दिनो से ऐ दोनो दुकानों के संचालको द्वारा लाफ़रवाही बरतने की शिकायते सामने आ रही थी जिसको गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अविनाश भोई ने खादय अधिकारी को कार्यवाही करने निर्देश दिया जिसके बाद ग्राम पंचायत बुढानछापर विकासखंड डोंगरगढ की शा. उचित मुल्य की दुकान जो पदम सरस्वती स्व सहायता समुह , आई डी 422004066 द्वारा संचालित की जा रही थी। उक्त शाासकीय उचित मुल्य की दुकानो के संचालकों द्वारा 24 नंवबर की स्थिती में माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की स्थिती में 3670 बारदानो के विरूद्ध कोई बारदाना जमा नही किया गया उक्त लाफ़रवाही बरतने पर बुढानछापर की उचित मुल्य की दुकानों को निंलबित कर शा. उचित मुल्य दुकान पिपरखारकला में जो मां शीतला बम्लेश्वरी स्व सहायता द्वारा संचालित है के साथ संलग्न किया गया । इसी प्रकार ग्राम पंचायत गाजमर्रा विकासखंड डोंगरगढ की शा. उचित मुल्य की दुकान जो सांई मा बम्लेश्वरी स्व सहायता समुह आई डी 422004031 द्वारा संचालित की जा रही थी उक्त दुकान के संचालक द्वारा 24 नबंवर 2020 की स्थिती में माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 की स्थिती में 2415 बारदानो के विरूद्ध कोई बारदाना जमा नही करने पर निलंबित किया गया उक्त दुकान को ग्राम कल्याणपुर की शा. उचित मुल्य दुकान 422004023 जो कि रमा मां बम्लेश्वरी समुह कल्याणपुर द्वारा संचालित है के साथ सलग्न किया गया है । इस मांमले में एसडीएम अविनाश भोई ने चर्चा में बताया कि अनुविभाग के तहत बारदाना जमा ना करने व अन्य प्रकार की लाफ़रवाही बरतने पर डोंगरगढ विकासखंड की दो बुढानछापर व गाजमर्रा की शासकीय उचित मुल्य की दुकानो को निंलबित करने की कार्यवाही की गई है दोनो दुकानो को अन्य दुकानो में संलग्न कर सुचारू रूप संचालित करने कहा गया है।

# सड़क हादसे तीन की मौत, दो कार चालकों के खिलाफ अपराध दर्ज

**रायपुर।** रोड एक्सीडेन्ट में बाईक सवार दो लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पुलिस ने जांच के बाद कार चालक के खिलाफ धारा 304 ए का अपराध दर्ज कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे हीरो पैशन प्रो.मोटरसाइकिल सवार मनहरण दास महेश्वरी आयु 40 वर्ष पिता विश्राम दास एवं सुरज खेलवार आयु 27 वर्ष पिता मोहनखेलवार की पुजारी पेट्रोलपंप के पास पचपेड़ीनाका के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रुप से घायल हो जाने पर इलाज के दौरान मौत हो जाने की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा व गवाहों से लिये गए बयान के बाद घटना स्थल के पास लगे सीसी टीवी फुटेज के आधार पर कार क्रमांक सीजी 13 सी 8707 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के वजह से एक्सीडेन्ट होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की है। इसी तरह धरसींवा थाने में रोड एक्सीडेन्ट में बाईक सवार की मौत हो जाने व पीछे बैठी महिला के घायल हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है।